(28) पंचायती राज विभाग

पंचायती राज विभाग में निदेशालय, जनपद, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संगठनात्मक ढांचा व पदों का सृजन है। उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार (31.12.2016 की स्थिति) पदों का विवरण निम्नानुसार है –

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक	01	01	–	अपर सचिव पदेन रूप से तैनाती
2.	संयुक्त निदेशक/7600	01	01	–	प्रभारी व्यवस्था
3.	सहायक निदेशक/5400	01	01	–	–तदैव–
4.	जिला पंचायत राज अधि0/5400	13	13	–	
5.	सहायक जिला पंचायत राज अधि0/2800	13	02	11	
6.	सहायक लेखाधिकारी/4800	01	01	–	निदेशालय में
7.	सहायक लेखाकार/2800	14	08	06	01 पद निदेशालय में
8.	विशेष कार्याधिकारी/4600	01	01	–	कार्मिक की सेवा निवृत्ति तक पद सृजित
9.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	01	–	01	
10.	वरिष्ठ सहायक/2800	15	14	01	02 मुख्यालय में
11.	कनिष्ठ सहायक/2000	28	45	–	19 पद मृतक आश्रित में नियुक्ति से अधिसंख्य (मुख्यालय में 02 पद रिक्त)
12.	आशुलिपिक ग्रेड–1/4200	01	01	–	
13.	आशुलिपिक ग्रेड–2/2800	01	01	–	
14.	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)/2800	95	83	12	
15.	पंचायत निरीक्षक उद्योग/2800	10	02	08	पंचायत उद्योगों की निष्क्रियता के कारण समर्पण की कार्यवाही गतिमान
16.	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/2400	1175	901	274	अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेषित
17.	वाहन चालक/1900	15	12	03	
18.	चतुर्थ श्रेणी/अनुसेवक/1800	32	42	–	जनपदों में 10 मृतक आश्रित से अधिसंख्य (निदेशालय में 06 पद है)
19.	चौकीदार/स्वच्छक/	01	01	–	निदेशालय
	योग	**1419**	**1130**	**318**	

उक्त के अतिरिक्त निदेशालय पंचायती राज स्तर पर जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक है जिनमें पदों की स्थिति निम्नानुसार अवगत कराई गई है –

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	संयुक्त निदेशक/	01	–	01	
2.	लेखाकार/	01	01	–	
3.	आशुलिपिक/	01	–	01	
4.	वरिष्ठ सहायक/	01	–	01	
5.	कनिष्ठ सहायक/	02	01	01	
6.	चतुर्थ श्रेणी/	02	01	01	01 नियमित व 01 संविदा आधार पर स्वीकृत
7.	वाहन चालक/	01	–	01	
	योग	**09**	**03**	**06**	

जिला पंचायत कार्यालयों के लिए स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार सूचित किया गया है :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	अपर मुख्य अधिकारी/	13	09	04	पदोन्नति का पद
2.	कार्य अधिकारी/	13	03	10	04 पद पदोन्नति के
3.	अभियन्ता/	13	06	07	सेवा नियमावली बनाने की कार्यवाही गतिमान
4.	कर अधिकारी	13	03	10	
5.	कनिष्ठ अभियन्ता/	45	27	18	
6.	प्रशा0 अधिकारी/	13	13	–	अकेन्द्रीय संक्रामय संवर्ग
7.	लेखाकार/	13	12	01	
8.	सहा0 लेखाकार/	10	09	01	
9.	प्रधान सहायक/	17	14	03	
10.	आशुलिपिक/	16	08	08	
11.	वरिष्ठ सहायक/	76	67	09	
12.	कनिष्ठ सहायक/	73	45	28	
13.	कर राजस्व निरीक्षक/	27	16	11	
14.	कर समाहर्ता/	80	31	49	
15.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/	07	–	07	
16.	ड्राफ्टमैन/	07	0	05	
17.	सुरक्षा गार्ड/	02	–	02	
18.	चपरासी (स्वच्छक सहित)/	139	64	75	
19.	चालक/	27	26	01	
	योग	**604**	**355**	**249**	

जिला पंचायतों के पदों को छोड़कर पंचायती राज विभाग में राजकीय पदों पर वेतन सम्बन्धी व्यय वर्ष 2015–16 में कुल लगभग रू0 51.36 करोड़ सूचित किया गया है। सभी पद भरे होने की दशा में यह व्यय लगभग रू0 64.73 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन में लगभग रू0 74.50 होता है।

प्राप्त सूचनाओं के क्रम में निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं :–

1. पंचायती राज विभाग का कार्यक्षेत्र केवल ग्रामीण पंचायतों तक सीमित है। शहरी निकायों से सम्बन्धित कार्य शहरी विकास विभाग द्वारा ही देखा जाता है जबकि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यक्षेत्र देखा जाता है और ग्रामीण पंचायतों का कार्य पंचायती राज विभाग देखता है। ग्रामीण विकास में ग्रामीण पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है और वे ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। अतः यह समीचीन प्रतीत होता है कि ग्रामीण पंचायतों एवं ग्राम्य विकास विभाग का एकीकरण किया जाय। पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी कार्यों को सुचारू व सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करने के लिए शासन में सचिवालय स्तर पर पंचायती राज ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत पंचायती राज का एक अनुभाग व एकीकृत निदेशालय/विभागाध्यक्ष कार्यालय में पंचायती राज सम्बन्धी कार्य की एक शाखा इस हेतु निर्दिष्ट संयुक्त निदेशक (पंचायती राज) के अधीन नियत की जा सकती है। ग्राम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के पृथक–पृथक संवर्ग व व्यवस्था के स्थान पर एकीकृत व्यवस्था हो जैसा कि ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित संस्तुति में इंगित किया गया है। पूर्व से नियुक्त कार्मिक पूर्व की भांति अलग–अलग संवर्ग में रहते हुए एकीकृत कार्य करेंगे जबकि नई भर्तियों हेतु उचित अर्हता रखते हुए एकीकृत संवर्ग बनाया जा सकता है। इस प्रकार शासन स्तर पर पृथक पंचायती राज विभाग एवं पंचायती राज निदेशालय की वर्तमान व्यवस्था तदानुसार समाप्त की जा सकती है।

2. उक्त बिन्दु 1 के अतिरिक्त यह भी सुझाव है कि पंचायत उद्योगों की निष्क्रियता के कारण पंचायत निरीक्षक उद्योग के पद समर्पित करने की कार्यवाही गतिमान बताई गई है। उद्योग सम्बन्धी कार्य उद्योग विभाग क्षेत्रान्तर्गत है तथा कोई पंचायत अपना उद्योग चलाती है तो उस हेतु संबंधित प्राधिकारी से वे यथा आवश्यक सम्पर्क व समन्वय कर सकते हैं। एकीकृत पंचायत व ग्राम्य विकास विभाग के जनपद व विकासखण्ड स्तरीय पदों से ही यथा आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं अथवा कार्यवाही सम्पन्न की जा सकती है। इस स्तर पर 10 पदों में से 02 ही पद कार्यरत है। स्पष्ट ही पंचायत निरीक्षक, उद्योग का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

3. चूंकि जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक में 09 पद स्वीकृत है जिसमें 03 पद ही कार्यरत हैं तथा जिला पंचायतों से सूचनाएं आदान–प्रदान करने का कार्य जिला कार्यालय माध्यम

वर्तमान उपलब्ध/प्रस्तावित व्यवस्था से ही किया जा सकता है, अतः अनुश्रवण कोष्ठक व इस हेतु सृजित पद समाप्त कर दिये जाने चाहिए।

(29) जलागम प्रबन्धन निदेशालय

जलागम प्रबंध निदेशालय में फील्ड स्तरीय पदों सहित कुल 556 पद सृजित 469 पद कार्यरत तथा 87 पद रिक्त बताए गये हैं। पदों सम्बन्धी विस्तृत विवरण (30 जून 2017 की स्थिति) निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	मुख्य परियोजना निदेशक/10000	01	01	–	
2.	परियोजना निदेशक (प्रशासन)/8900	01	01	–	
3.	परियोजना निदेशक/8900	02	02	–	फील्ड स्तरीय पद
4.	संयुक्त निदेशक (कृषि)/7600	01	–	01	
5.	संयुक्त निदेशक (उद्यान)/7600	01	–	01	
6.	संयुक्त निदेशक (पशुपालन)/7600	01	01	–	
7.	उप निदेशक (प्रशासन/प्रशिक्षण)/6600	01	01	–	
8.	उप निदेशक (नियोजन/प्रालेख/प्रसार)/6600	01	01	–	
9.	उप निदेशक (मूल्यांकन/अनु0/GIS/MIS)/6600	01	01	–	
10.	उप निदेशक (पर्यावरण विशेषज्ञ/ESA Unit)/6600	01	–	01	
11.	उप निदेशक (PMU Unit)/6600	01	01	–	
12.	उप परियोजना निदेशक/6600	10	09	01	
13.	वरिष्ठ वित्त अधिकारी/6600	01	01	–	
14.	सहायक निदेशक (GIS/MIS/अर्थ0) परियोजना अर्थशास्त्री/5400	01	–	01	
15.	सहायक निदे0 (क्षमता विकास/प्रालेखन/डाक्यूमेंटेशन)/5400	01	–	01	
16.	सहायक निदेशक (प्रशिक्षण/ESA Unit)/5400	01	–	01	
17.	सहायक निदेशक (मू0अनु0)/स0व0सं0 PMU Unit)/5400	01	–	01	
18.	सहायक निदेशक परियोजना/सहा0 वन संरक्षक/5400	08	03	05	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
19.	सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरिंग)/सहायक अभियंता (सिविल)/5400	03	02	01	फील्ड स्तरीय पद
20.	कृषि/उद्यान अधिकारी/5400	10	08	02	फील्ड स्तरीय पद
21.	पशु चिकित्साधिकारी/5400	08	023	06	फील्ड स्तरीय पद
22.	वित्त अधिकारी/5400	03	–	03	
23.	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी/4600	01	–	01	
24.	अपर सांख्यकीय अधि0/4200	14	05	09	
25.	लेखाकार/4200	04	–	04	
26.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/4200	01	01	–	
27.	जी0आई0एस0 तकनीशियन/4200	01	01	–	
28.	वन क्षेत्राधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ/यूनिट अधि0/4600	34	29	05	फील्ड स्तरीय पद
29.	अवर अभियन्ता (सिविल) /4600	08	07	01	फील्ड स्तरीय पद
30.	अवर अभियन्ता (कृषि)/प्रा0स0भू0सं0/4600	08	04	04	फील्ड स्तरीय पद
31.	सर्वेयर/2800	08	04	04	फील्ड स्तरीय पद
32.	सहा0वि0अधि0(कृषि/उद्यान)/2800	33	15	18	फील्ड स्तरीय पद
33.	वन विद/वन दरोगा/2800	34	19	15	फील्ड स्तरीय पद
34.	पशुधन प्रसार अधि0/2800	32	14	18	फील्ड स्तरीय पद
35.	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3/2000	32	18	14	फील्ड स्तरीय पद
36.	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी वर्ग–3/2000	32	14	18	फील्ड स्तरीय पद
37.	वन रक्षक/1900	31	22	09	फील्ड स्तरीय पद (सीधी भर्ती)
38.	एम0डी0टी0	–	76	–76	फील्ड स्तरीय पद
39.	मुख्य प्रशा0 अधि0/5400	01	01	–	
40.	वरिष्ठ प्रशा0अधि0/4800	06	06	–	
41.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	06	06	–	
42.	प्रधान सहायक/4200	12	09	03	
43.	वरिष्ठ सहायक/2800	18	16	02	
44.	कनिष्ठ सहायक/2000	25	36	–11	13 पद मृतक आश्रित के रूप में अधिसंख्या एवं 02 रिक्तियां
45.	वैयक्तिक अधिकारी/4800	01	01	–	
46.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक/4200	02	01	01	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
47.	वैयक्तिक सहायक/2800	03	02	01	
48.	सहायक लेखाकार/2800	08	–	08	
49.	मानचित्रकार/4200	10	06	04	
50.	वाहन चालक ग्रेड–1/4600	02	02	–	
51.	वाहन चालक ग्रेड–2/4200	09	09	–	
52.	वाहन चालक ग्रेड–3/2800	09	09	–	
53.	वाहन चालक ग्रेड–4/2000	10	10	–	
54.	मशीन ऑपरेटर (फोटो स्टेट)/1800	01	01	–	
55.	ट्रेसर/1800	44	43	01	
56	इलेक्ट्रीशियन/1900	01	01	–	
57.	वर्क सुपरवाइजर/1900	01	01	–	
58.	माली/1800	07	07	–	
59.	प्लम्बर/1800	01	01	–	
60.	चपरासी/चौकीदार/अर्दली/डाकिया/1800	28	27	01	
61.	स्वच्छक/1800	04	03	01	
	योग	**556**	**469**	**87**	

प्राप्त सूचना अनुसार जलागम प्रबन्ध निदेशालय केंद्रीय वित्त पोषित (समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम), विश्व बैंक वित्त पोषित (उत्तराखण्ड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना–2) तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि वित्त पोषित (एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना) परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। केंद्रीय वित्त पोषित योजना की अवधि 2020 तक है जिसकी कुल लागत रू0 617.784 करोड़ (केन्द्रांश रू0 556.0056 करोड़ एवं राज्यांश 78.84 करोड़), विश्व बैंक पोषित परियोजना–2 की अवधि 2022 तक तथा कुल लागत रू0 1019.77 करोड़ (राज्यांश रू0 275.20 करोड़ व विश्व बैंक वित्त पोषण रू0 726.97 करोड़) एवं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि वित्त पोषित परियोजना की अवधि 2019 तक लागत रू0 286.94 करोड़ (राज्यांश रू0 55.97 करोड़ व वित्त पोषण संस्था अंश रू0 211.81 करोड़) सूचित किया गया है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग रू0 1924.49 करोड़ में से 2016–17 तक लगभग रू0 431.54 करोड़ व्यय होना इंगित किया गया है, अर्थात लगभग रू0 1492.95 करोड़ व्यय किया जाना शेष है। वेतन पर वर्ष 2015–16 में कुल व्यय लगभग रू0 14.31 करोड़ सूचित किया गया है जबकि योजना कार्य मदों में व्यय लगभग 75.40 करोड़ होना अवगत कराया है। कदाचित वेतन सम्बन्धी व्यय का कुछ अंश राज्य सरकार के विभागीय बजट से भी वहन किया जाता है।

प्राप्त सूचनाओं से स्पष्ट इंगित है कि जलागम प्रबन्ध निदेशालय केवल केन्द्र पोषित समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम तथा विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से पोषित वाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ही गठित/कार्यरत प्रतीत होता है तथा कि जलागम सम्बन्धी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न विषयों (मुख्यतः कृषि, उद्यान व पशुपालन) से सम्बन्धित गतिविधियां सम्मिलित हैं जिस हेतु सम्बन्धित विषयों के पद स्वीकृत किये गये हैं। मोटे रूप से जलागम प्रबन्ध निदेशालय का कार्य ग्रामीण विकास से ही सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय होंगे :–

1. जलागम प्रबन्ध निदेशालय एक स्थायी व्यवस्था के रूप में गठित होना इंगित होता है जबकि परियोजना विशिष्ट के क्रियान्वयन की दृष्टि से इसे एक अस्थायी परियोजना ईकाई अथवा परियोजना निदेशालय के रूप में रखा जाना उचित होगा।
2. जलागम प्रबन्धन का अलग विभाग के स्थान पर इसे ग्राम्य विकास विभाग (प्रस्तावित पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रखा जाना चाहिए।
3. तदानुसार मुख्य परियोजना निदेशक के स्थान पर परियोजना निदेशक का 01 पद एवं उसके अधीन अपर परियोजना निदेशक का 01 पद (वर्तमान 02 पदों के स्थान पर) रखा जा सकता है और परियोजना निदेशक (प्रशासन) व फील्ड स्तर पर परियोजना निदेशक के तीनों पद समाप्त किये जा सकते हैं।
4. उप निदेशक PMU Unit पद को समाप्त किया जा सकता है तथा कार्य अपर परियोजना निदेशक द्वारा ही देखा जा सकता है।
5. वरिष्ठ वित्त अधिकारी सहित वित्त अधिकारी (03 पद) तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी (01 पद) सृजित हैं, जबकि लेखाकार के 04 व सहायक लेखाकार के 08 पद सृजित हैं। अतः वरिष्ठ वित्त अधिकारी के 01 पद के अतिरिक्त वित्त अधिकारी (03 पद) व सहायक वित्त एवं लेखधिकारी (01 पद) के पदों को समाप्त किया जाना चाहिए।
6. वाहन चालकों के विभिन्न ग्रेड अंतर्गत कुल 30 पद सृजित हैं वाहन की वाहन चालकों सहित व्यवस्था आउटसोर्सिंग से की जा सकती है।
7. मशीन ऑपरेटर (फोटो स्टेट) का 01 पद सृजित है जिसे समाप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन, वर्क सुपरवाइजर, प्लम्बर के एकल पद समाप्त किये जा सकते हैं।
8. मानचित्रकार के 10 तथा ट्रेसर के 44 पद सृजित हैं जो अधिक प्रतीत होते हैं। इन्हें वास्तविक आवश्यकता अनुसार न्यूनतम संख्या तक सीमित किया जाना चाहिए।

9. कनिष्ठ सहायक पद में 13 पद अधिसंख्यक रूप में मृतक आश्रित के रूप में नियोजित बताए गये हैं। नियमित रिक्तियां जो उपलब्ध हैं (कदाचित 02 रिक्तियां) में मृतक आश्रितों के रूप अधिसंख्य कार्मिकों को इस सीमा तक समायोजित किया जा सकता है।

10. कृषि विभाग में कदाचित भूमि संरक्षण व कृषि के पद अलग–अलग रखने के बजाय एक पद के रूप में व्यवस्थित किये गये हैं। अतः तदनुरूप सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 तथा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी वर्ग–3 के क्रमशः 32–32 पद रखने के स्थान पर केवल 32 पद ही रखने पर विचार किया जा सकता है।

(30) उद्योग विभाग

उद्योग विभाग में निदेशालय एवं जनपद/क्षेत्र स्तरीय ईकाईयों के सम्बन्ध में पद संरचना का पुनर्गठन 27 दिसम्बर, 2016 के शासनादेश द्वारा किया गया है। निदेशालय, जनपद, विकासखण्ड, डिजाइन सैण्टर काशीपुर तथा विभागीय अन्य योजनाओं हेतु सृजित कुल पद संख्या 584 सूचित की गई है जिसमें से 396 पद भरे व 168 पद रिक्त बताए गये हैं। पूर्व में कुल सृजित पद 446 थे अर्थात पूर्वोक्त शासनादेश से कुल 138 पद नये बढ़ाए गये हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग के अधीन कुल व्यय लगभग रू0 94.27 करोड़ सूचित किया गया है जिसके सापेक्ष वेतन सम्बन्धी मदों में व्ययभार लगभग रू0 31.31 करोड़ है। कुल व्यय में से सार्वजनिक उपक्रम सिडकुल को वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ तथा खादी ग्रामोद्योग परिषद को रू0 6.10 करोड़ की सहायता दी गई है।

विभाग में उपरोक्त शासनादेश के द्वारा पुनर्गठित पदों के विवरण के दृष्टिगत कतिपय विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार हैं:–

1. निदेशालय में महानिदेशक/आयुक्त उद्योग के रूप में भा0प्र0 सेवा संवर्ग से एक पद विभागाध्यक्ष के रूप में सृजित है जबकि निदेशक उद्योग का भी एक पद ग्रेड वेतन 8900 में स्वीकृत किया गया है। जब आयुक्त उद्योग का पद विभागाध्यक्ष का है तो निदेशक के एक पद सृजन की उपादेयता व औचित्य प्रतीत नहीं होता जिसे समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ग्रेड वेतन 8700 में अपर निदेशक के दो पद एवं ग्रेड वेतन 7600 में संयुक्त निदेशक के भी दो पद सृजित हैं जबकि उप निदेशक (ग्रेड वेतन 6600) व सहायक निदेशक (ग्रेड वेतन 5400) के क्रमशः चार व आठ पद सृजित हैं। अपर निदेशक का एक ही पद रखा जा सकता है।

2. प्रत्येक जनपद में महाप्रबंधक (ग्रेड वेतन 6600) में एक–एक व प्रबंधक (ग्रेड वेतन 5400) के दो–दो पद सृजित किये गये हैं। पूर्व में महाप्रबंधक के कुल 5 व प्रभारी महाप्रबंधक (ग्रेड वेतन 5400) के कुल आठ पद सहित प्रबंधक के 18 पद सृजित थे। यद्यपि पर्वतीय क्षेत्र हेतु लुभावनी उद्योग नीति घोषित/लागू है, तथापि चूंकि पर्वतीय जनपदों में उद्योग सम्बन्धी क्रियाकलाप अति न्यून है और अभी तक उद्योगों की स्थापना/निवेश में कदाचित विशेष वृद्धि नहीं हुई है, अतः जब तक इन पर्वतीय जनपदों में उद्योगों की स्थापना/निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो जाती तब तक प्रबंधक के पदों की संख्या सीमित कर पूर्ववत् 18 रखा जा सकता है।

3. अधीनस्थ सेवा संवर्ग में सहायक प्रबंधक (ग्रेड वेतन 4200) के 44 पद, सहायक विकास अधिकारी प्रथम (ग्रेड वेतन 4200) के 13, सहायक विकास अधिकारी द्वितीय (ग्रेड वेतन 2800) के 13 पद व औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक (ग्रेड वेतन 2000) के 13 पद पूर्व में सृजित थे। इनके स्थान पर सहायक विकास अधिकारी प्रथम, द्वितीय व औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक के पद कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति/सेवा निवृत्ति के पश्चात–स्वतः समाप्त होने के प्रतिबंध सहित सहायक प्रबंधक के 95 पद सृजित किये गये हैं। सहायक प्रबंधक का पद विकासखण्ड स्तर पर रखना इंगित किया गया है। चूंकि पर्वतीय जनपदों/विकासखण्डों में उद्योग सम्बन्धी क्रियाकलाप अति न्यून होगा, अतः फिलहाल सहायक प्रबंधक के 95 पद के स्थान पर संख्या इस प्रकार कम की जा सकती है कि एक सहायक प्रबंधक पर एक से अधिक विकासखण्ड का कार्यभार हो तदानुसार इन पदों की संख्या 70 या 75 तक सीमित रखी जा सकती है।

4. मिनिस्टीरियल संवर्ग में अधुनान्त स्टाफिंग पैटर्न आधार पर 120 पद सृजित किये गये हैं जबकि पूर्व में 105 पद ही स्वीकृत थे। इस तरह 15 पदों की वृद्धि हुई है। इन पदों की संख्या पूर्ववत् 70–80 तक सीमित करने पर विचार किया जा सकता है।

5. जिन संवर्गों में पदोन्नति के पद व ए0सी0पी0 की व्यवस्था है वहां स्टाफिंग पैटर्न की अनुमन्यता पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह सुविधा अन्य संवर्गों में नहीं है और वहां केवल पदोन्नति व ए0सी0पी0 की ही सुविधा है।

6. निदेशालय व जनपदों हेतु स्वच्छकार/चौकीदार के 15 पद नये स्वीकृत किये हैं। यद्यपि पदों के सापेक्ष सेवायें बाह्य स्रोत से लिये जाने की अभ्युक्ति उल्लिखित की गई है, तथापि वेतनमान सहित पदों के सृजन का औचित्य नहीं प्रतीत होता जिस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

7. जनपदों में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक (ग्रेड वेतन 4200) के 13 पद पूर्व से सृजित हैं। चूंकि आडिट विभाग पृथक से सृजित हो गया है, अतः इन पदों को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए और पदोन्नति की कार्यवाही यदि की जा रही हो तो उसे भी तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।

8. राजकीय डिजाइन सैन्टर काशीपुर (उधमसिंहनगर) में पूर्व से 13 पद सृजित थे जिसके स्थान पर कुछ नये पद सहित कुल 25 पद पुनर्गठन से सृजित किये गये हैं। इस केन्द्र में अधिकांश पद (केवल अनुसेवक/चौकीदार, तकनीकी सहायक, व्यूवर व पर्यवेक्षक के पद को छोड़कर) एकल हैं। एकल पदों के पद धारकों को पदोन्नति के अवसर न होने अथवा अति न्यून होने से एक ओर दक्षता/कार्य कुशलता/ज्ञान में समय के साथ वृद्धि नहीं होती तो दूसरी ओर कर्मचारी में उत्साह में भी ह्रास होता है। अतः डिजाइन सैन्टर के अधिकांश कार्यों को निविदा माध्यम आउट सोर्सिंग/किसी जानी मानी संस्था से समझौता/अनुबंध आधार पर कराने पर विचार किया जाय। इस सैन्टर का उपयोग कौशल विकास मिशन (Skill Development Mission) हेतु करने पर भी विचार किया जाय।

9. निदेशालय व जनपदों सहित डिजाइन सैन्टर हेतु सृजित/पुनर्गठित पदों के अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं हेतु भी कुल 36 पद (कुछ पद एकल हैं) सृजित हैं। पूर्व में इन योजनाओं हेतु कुल 21 पद थे, अर्थात पुनर्गठन से 15 नये पद सृजित किये गये हैं। चूंकि निदेशालय, जनपद व विकासखण्ड स्तर हेतु पर्याप्त पद सृजित हैं अतः योजनाओं हेतु पृथक से पद सृजन का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता। अतः इन पदों को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।

(31) उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

संस्था में पदों के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत् अवगत कराई गई है–

क्र0	पदनाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी		01	01	–	पदेन (आई0ए0एस0/वरिष्ठ पी0सी0एस0)
2.	अपर मुख्य कार्य0 अधि0		01	01	–	पदेन (पी0सी0एस0)
3.	संयुक्त मुख्य कार्य0 अधि0	6600	01	01	–	
4.	वित्त नियंत्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी		01	01	–	वित्त सेवा संवर्ग से
5.	सह निदेशक उद्योग	5400	01	–	01	
6.	उप मुख्य कार्य0 अधि0	5400	02	01	01	

7.	जिला ग्रामोद्योग अधि0	5400	13	06	07	
8.	लेखाधिकारी	5400	01	–	01	
9.	प्रशासनिक अधि0	4600	01	01	–	
10.	डिजाइनर/ऑफीसर इंचार्ज लैब	4200	01	01	–	
11.	प्रशिक्षक	4200	04	–	04	
12.	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)	4200	03	03	–	
13.	तकनीशियन	4200	01	01	–	
14.	वैयक्तिक सहायक	4200	01	–	01	
15.	आशुलिपिक ग्रेड–1/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	4200	03	–	03	
16.	लेखा निरीक्षक	4200	01	01	–	
17.	विकास अधिकारी	4200	13	12	01	
18.	प्रधान सहायक	4200	03	03	–	
19.	अधीक्षक उत्पादन	2800	08	07	01	
20.	सहायक अधीक्षक उत्पादन	2800	07	02	05	
21.	फोरमैन	2800	02	–	02	
22.	वरिष्ठ लेखा निरीक्षक	2800	02	01	01	
23.	सहा० विकास अधिकारी	2800	13	02	11	
24.	वरिष्ठ सहायक	2800	24	20	04	
25.	आशुलिपिक ग्रेड–2/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	2400	01	01	–	उपनल से कार्यरत
26.	सांख्यकी	2400	01	–	01	
27.	मैकेनिक इलैक्ट्रीशियन	2000	03	03	–	
28.	बुनाई अनुदेशक	2000	10	02	08	
29.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	2000	25	19	06	19 में 11 उपनल से व 08 नियमित
30.	रंगाई शिक्षक	1900	03	03	–	
31.	कनिष्ठ लेखा निरीक्षक	1900	02	–	02	
32.	बिक्री कर्ता	1900	10	08	02	08 में से 03 उपनल से व 05 नियमित
33.	चालक	2000	10	09	01	
34.	कताई पर्यवेक्षक	1800	07	07	–	
35.	कताई शिक्षक	1800	13	07	06	07 में से 01 मास्टर क्राफ्ट्स मैन
36.	ब्वायलर मैन	1800	02	–	02	
37.	फिटर कम इलैक्ट्रीशियन	1800	03	01	02	
38.	बिक्री सहायक	1800	10	04	06	
39.	अनुसेवक	1800	40	39	01	39 में से 10 पी0आर0डी0 से
	योग		**248**	**168**	**80**	

उक्तानुसार नियमित रूप से 131 व आउटसोर्सिंग से 35 पद कार्यरत बताए गये हैं। क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) के तीन कार्यालय क्रमशः चम्बा, श्रीनगर एवं अल्मोड़ा में हैं एवं 20 उत्पादन केन्द्र के अतिरिक्त फिनिशिंग प्लान्ट, कार्डिंग प्लान्ट, बिक्री भण्डारों के लिए भी स्टाफ स्वीकृत होना शासन की विज्ञप्ति दिनांक 06 जनवरी 2004 से इंगित होता है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 का वेतन व्यय लगभग रू0 6.65 करोड़ सूचित किया गया है। कुल अधिष्ठान व्यय रू0 7.10 करोड़ है जबकि रू0 1.00 करोड़ खादी ग्रामोद्योग परिषद को सहायता तथा रू0 887.48 लाख खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट हेतु व्यय हुआ है। यह सम्पूर्ण राशि शासन से ही कदाचित अनुदान में अवमुक्त होती है। सभी पद भरे होने पर 2015–16 का वेतन व्यय लगभग रू0 9.81 करोड़ होता। सातवें पुनरीक्षित वेतन में वेतन व्यय भरे पदों के सापेक्ष लगभग रू0 9.85 करोड़ होता जबकि सभी पद भरे होने की दशा में सातवें पुनरीक्षित वेतन अंतर्गत वेतन व्यय लगभग रू0 11.30 करोड़ होता है।

प्राप्त सूचनाओं के दृष्टिगत निम्नलिखित बिन्दु विचार योग्य हैं :–

1. राज्य में ऑडिट अधिनियम 2012 के क्रम में ऑडिट विभाग पृथक बन चुका है, अतः लेखा निरीक्षक, वरिष्ठ लेखा निरीक्षक तथा कनिष्ठ लेखा निरीक्षक के पद समाप्त किये जायें। लेखा व तुलन पत्र सम्बन्धी कार्य सी0ए0 की सेवायें लेकर किया जा सकता है।

2. वित्त नियंत्रक एवं लेखाधिकारी के क्रमशः 01–01 पद हैं। लेखाधिकारी का पद समाप्त कर दिया जाय एवं लेखाकार तथा सहायक लेखाकार के क्रमशः 01 एवं 02 पद रखे जा सकते हैं।

3. सह निदेशक उद्योग का पद समाप्त किया जा सकता है जो कि रिक्त भी है। उल्लेखनीय है कि उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी के 02 पद भी समान ग्रेड वेतन में स्वीकृत हैं जबकि जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के भी समान ग्रेड वेतन में 13 पद हैं।

4. विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी के क्रमशः 13–13 पद स्वीकृत हैं। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के भी 13 पद हैं जिसके अधीन केवल एक स्तर पर 13 अन्य पद (ग्रामोद्योग अधिकारी पदनाम दिया जा सकता है) रखते हुए सहायक विकास अधिकारी के सभी पद समाप्त करने पर विचार किया जाय। उल्लेखनीय है कि सहायक विकास अधिकारी के 11 पद रिक्त भी बताए गये हैं।

5. सांख्यकी का एकमात्र पद है जो रिक्त भी है। इसे समाप्त किया जाय।

6. अधीक्षक उत्पादन व सहायक अधीक्षक उत्पादन के एक ही ग्रेड वेतन 2800 में क्रमशः 08 व 07 पद स्वीकृत हैं। यह दोनों पद ऊन योजना के लिए हैं। इनमें से सहायक अधीक्षक पद समाप्त करने पर विचार किया जाय जिसमें केवल 02 ही पद भरे हैं।

7. कताई पर्यवेक्षक व कताई शिक्षक के ग्रेड वेतन 1800 में क्रमशः 07 एवं 13 पद स्वीकृत हैं तथा कार्यरत क्रमशः 07 एवं 07 पद हैं। दोनों का कार्य क्रमशः ऊन योजना अंतर्गत कतकरों से प्राप्त तागे का तकनीकी आकलन, उसकी गुणवत्ता अंक के आधार पर करते हुए उत्पादन हेतु देना और उत्पादन केन्द्रों में कतकरों से गुणवत्ता के आधार पर धागा तैयार कराना है। यह समीचीन प्रतीत होता है कि दोनों कार्य एक ही पद के माध्यम कराया जाय और कताई पर्यवेक्षक के 20 पद रखते हुए कताई शिक्षक पदनाम समाप्त कर दिया जाय।

(32) राजकीय मुद्रणालय

रूड़की स्थित राजकीय मुद्रणालय में दिनांक 31.12.2016 की स्थिति अनुसार श्रेणीवार पदों का सारांश निम्नानुसार इंगित किया गया है :–

क्र0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	श्रेणी 'क'	03	02	01	
2.	श्रेणी 'ख'	13	07	06	
3.	श्रेणी 'ग'	278	80	198	
4.	श्रेणी 'घ'	77	41	36	
	योग	**371**	**130**	**241**	

पदवार स्थिति निम्नानुसार सूचित की गई है :–

क्र0 सं0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक				पदेन सचिव (अपर सचिव पर प्रभार)
2.	अपर निदेशक / 8700	01	01		
3.	संयुक्त निदेशक / 7600	01	01		
4.	उप निदेशक / 6600	01	–	01	
5.	सहायक निदेशक (मुद्रण) / 4600	02	–	02	
6.	लेखाधिकारी / 5400	01	–	01	वित्त / लेखा सेवा से स्थानान्तरण द्वारा
7.	कार्मिक अधिकारी / 5400	01	–	01	
8.	सुरक्षा अधिकारी / 5400	01	–	01	राज्य पुलिस सेवा से स्थानांतरण द्वारा

क्र0 सं0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
9.	सहायक लेखाधिकारी/4800	01	01	–	वित्त/लेखा सेवा से स्थानान्तरण द्वारा
10.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/5400	01	–	01	लिपिक संवर्ग
11.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/4800	06	06	–	–तदैव–
12.	प्रशा0 अधि0/4600	06	05	01	–तदैव–
13.	प्रधान सहायक/4200	11	02	09	–तदैव–
14.	वरिष्ठ सहायक/2800	18	01	17	–तदैव–
15.	कनिष्ठ सहायक/2000	20	12	08	–तदैव–
16.	मुद्रण ओवरसिमर/4200	01	–	01	
17.	फोरमैन आफसैट/4200	03	–	03	
18.	फोरमैन कम्पोजिंग/4200	01	01	–	
19.	फोरमैन बाइन्ड्री/4200	01	–	01	
20.	फोरमैन वर्कशाप/4200	01	–	01	
21.	प्रधान रीडर/4200	01	–	01	
22.	सहायक फोरमैन आफसैट/2800	02	02	–	
23.	सहा0 फोरमैन बाइंडिंग/2800	03	02	01	
24.	सहायक फोरमैन वर्कशाप/2800	01	–	01	
25.	आफसैट मशीन मैन ग्रेड–1/2800	02	02	–	
26.	आफसैट मशीन मैन ग्रेड–2/2800	19	15	04	
27.	अवर अभियन्ता इलैक्ट्रॉनिक्स/2800	01	–	01	
28.	कैमरामैन/2800	03	01	02	
29.	डी0टी0पी0 ऑपरेटर/2800	10	03	07	
30.	आफसैट प्लेट मेकर/2400	06	01	05	
31.	मशीन सहायक आफसैट/2400	32	04	28	
32.	ड्राफ्टमैन अर्ह/2400	02	–	02	
33.	डार्क रूम सहायक/प्रोसेसर ऑपरेटर/2400	05	–	05	
34.	रीडर/2400	06	–	06	
35.	रिवाईजर/2400	04	–	04	
36.	मैकेनिक (मुद्रण एवं जिन्दसाजी)/2400	06	–	06	
37.	इलैक्ट्रीशियन/2400	03	01	02	
38.	बाइन्डर/2400	36	11	25	
39.	वाउचर सहायक आफसैट/2400	01	–	01	
40.	वाउचर सहायक वाइन्ड्री/2400	01	01	–	
41.	लॉरी ड्राइवर (भारी)/1900	01	–	01	

क्र0 सं0	पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
42.	सहायक प्लेट मेकर/1900	08	–	08	
43.	आफसैट मशीन परिचर/1900	03	–	03	
44.	कापी होल्डर/1900	06	–	06	
45.	सहायक इलेक्ट्रीशियन/आर्मेचर वाइन्डर/1900	03	–	03	
46.	मशीन सहायक लेटर प्रैस/1900	10	10	–	मृत पद घोषित
47.	मोनो कास्टर/1900	02	02	–	–तदैव–
48.	डिस्ट्रीव्यूटर/1900	02	02	–	–तदैव–
49.	सहायक जिल्दसाज/1900	32	–	32	
50.	कारपेन्टर/1900	01	–	01	
51.	सहायक मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी)/1900	01	01	–	
52.	फाउन्ड्री सहायक/1800	04	01	03	
53.	काउन्टर/श्रमिक/1800	28	19	09	
54.	पैकर/1800	08	–	08	
55.	गेट जमादार/1800	01	–	01	
56.	ट्यूबवैल ऑपरेटर/1800	03	–	03	
57.	चपरासी/1800	06	05	01	
58.	कुली/श्रमिक/1800	17	14	03	
59.	स्वच्छकार/1800	04	02	02	
60.	गेट मैन/1800	05	–	05	
61.	लारी क्लीनर/1800	01	–	01	
	योग	**371**	**130**	**241**	

उक्त विवरणानुसार स्वीकृत 371 पदों के सापेक्ष मात्र 130 पद कार्यरत एवं 241 पद रिक्त हैं। अक्टूबर 01, 2017 की स्थिति अनुसार कुल स्वीकृत पद 369, कार्यरत 125 तथा रिक्त 244 बताए गये हैं। 2015–16 में कुल वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 6.46 करोड़ है जिसमें लगभग रू0 3.82 करोड़ मानदेय का सम्मिलित है। सभी पद भरे होने की दशा में वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 18 करोड़ होता। सातवें पुनरीक्षित वेतन अंतर्गत सभी पद भरे होने की दशा में वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 20.70 करोड़ होता है। कई पद एकल अथवा अतिन्यून संख्या में हैं तथा बहुधा रिक्त हैं अथवा काफी रिक्त हैं। युक्तिकरण एवं सही आकार की दृष्टि से निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार कर कार्यवाही की जा सकती है:–

1. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री और सम्बद्ध अधिष्ठान राजपत्रित अधिकरी सेवा नियमावली 1981 को अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के माध्यम उत्तरांचल

(राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री और सम्बद्ध अधिष्ठान (राजकीय) राजपत्रित सेवा नियमावली 1981) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश के रूप में राज्य में यथासंशोधन लागू किया गया। इसके अनुसार पूर्ववर्ती अधीक्षक, संयुक्त अधीक्षक, उप अधीक्षक व सहायक अधीक्षक पदों के स्थान पर क्रमशः अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक (मुद्रण) एवं सहायक निदेशक (मुद्रण) के पद रखे गये जिनमें क्रमशः 01, 01, 01 एवं 02 पद हैं। उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पद पूर्णतः रिक्त हैं। यह स्थिति पिरामिड सिद्धान्त तथा कार्य की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप नहीं दिखाई देती। अतः उप निदेशक से ऊपर के क्रमशः संयुक्त निदेशक एवं अपर निदेशक पदों को समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है अथवा अधिक उपयुक्त यह होगा कि क्रमशः अधीक्षक व उप अधीक्षक (या अधीक्षक, उप अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक) पद रखे जायें। उल्लेखनीय है कि राजकीय मुद्रणालय उद्योग विभाग के अधीन एक ईकाई है जिसे निदेशालय की तरह माने जाने का आधार व औचित्य नहीं प्रतीत होता और यह सीधे उद्योग निदेशालय के अधीन रखा जा सकता है।

2. उप निदेशक एवं सहायक निदेशक दोनों पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति एवं आयोग के माध्यम सीधी भर्ती दोनों प्रकार से है जैसा कि नियम 5(i)(4) एवं (9) में व्यक्त है। उप निदेशक का ग्रेड वेतन 6600 है जिसमें सामान्यतः प्रोन्नति से ही भर्ती की जाती है। उप निदेशक का 01 ही पद भी है तथा सहायक निदेशक का ग्रेड वेतन 4600 है जिससे सीधे ग्रेड वेतन 6600 पर प्रोन्नति की व्यवस्था कदाचित नहीं रखनी चाहिए। अतः इसमें यथा आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए।

3. सहायक निदेशक पद पर प्रोन्नति प्रधान रीडर एवं मुद्रण ओवर सियर (दोनों का ग्रेड वेतन 4200) से होने की व्यवस्था है। इस प्रकार ग्रेड वेतन 4200 से 4600 में प्रोन्नति उपरान्त पुनः आगे ग्रेड वेतन 6600 में प्रोन्नति की व्यवस्था निमयावली से इंगित होती है। इस स्थिति में यथोचित सुधार किया जाना चाहिए।

4. कार्मिक अधिकारी का एकल पद ग्रेड वेतन 5400 में आयोग के माध्यम सीधी भर्ती का है। इस पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। पद रिक्त बताया गया है।

5. लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी दोनों 01–01 पद ग्रेड वेतन 5400 व 4800 में सृजित हैं तथा सहायक लेखाधिकारी का पद भरा है। अतः लेखाधिकारी का पद समाप्त किया जा सकता है।

6. लिपिक संवर्ग में छः स्तर के पद (कनिष्ठ सहायक से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक) हैं। स्टाफिंग पैटर्न से कदाचित ढांचा अव्यवहारिक हो गया है एवं वास्तविक कार्य आवश्यकता अनुरूप नहीं है। अतः स्टाफिंग पैटर्न पर पुनर्विचार किया जा सकता है

और विभिन्न पद स्तरों को व उन स्तरों पर पदों की संख्या वास्तविक आवश्यकता अनुरूप रखने पर विचार किया जाना चाहिए।

7. प्राविधिक प्रकृति के कार्यों हेतु ग्रेड वेतन 4200, 2800, 2400 एवं 1900 में कई पदनाम एक ही ग्रेड वेतन में हैं। उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्राविधिक सेवा नियमावली, 1995 (यथा संशोधित)), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 अंतर्गत परिशिष्ठ 'क' तथा 'ख' अनुसार क्रमशः कम्पोजिंग, मोनो, मुद्रण और मशीन, आफसेट, वाइन्ड्री, वर्कशाप एवं रीडिंग अनुभागों अंतर्गत विभिन्न ग्रेड वेतन के पदनाम हैं जिनके पदों की संख्या कई मामलों में 01 अथवा अति न्यून है। मोनो तथा मुद्रण और मशीन अनुभागों के सभी पद मृत संवर्ग घोषित किये गये हैं। इन अनुभागों अंतर्गत विभिन्न पदों के स्तर निम्नानुसार ज्ञात हुए हैं :–

कम्पोजिंग अनुभाग :–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	पद संख्या	भर्ती स्रोत
1.	मुद्रण ओवर सियर/4200	01	50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत प्रोन्नति फोरमैन से
2.	फोरमैन कम्पोजिंग/4200	01	100 प्रतिशत प्रोन्नति सहायक फोरमैन (6 वर्ष अनुभव) व डी0टी0पी0 ऑपरेटर (08 वर्ष अनुभव)
3.	सहायक फोरमैन/2800	–	मृत संवर्ग
4.	डी0टी0पी0 ऑपरेटर/2800	10	50 प्रतिशत सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत प्रोन्नति से फोटो सैटर ऑपरेटर, एडीटर–कम–की बोर्ड ऑरेटर तथा अन्य कर्मचारी जो हाई स्कूल पास हो (03 वर्ष अनुभव)

आफसैट अनुभागः–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	पद संख्या	भर्ती स्रोत
1.	फोरमैन आफसैट/4200	03	100 प्रतिशत प्रोन्नति सहायक फोरमैन व आफसैट मशीन मैन ग्रेड–1 से 6 वर्ष की सेवा पर
2.	सहायक फोरमैन आफसैट/2800	02	100 प्रतिशत वाउचर सहायक व मशीन मैन ग्रेड–2 से 5 वर्ष की सेवा पर
3.	वाउचर सहायक/2400	01	100 प्रतिशत प्रोन्नति प्रेसरूम वाउचर सहायक से
4.	आफसैट मशीन मैन ग्रेड–1/2800	02	100 प्रतिशत प्रोन्नति मशीन मैन ग्रेड–2 से
5.	आफसैट मशीन मैन ग्रेड–2/2800	19	100 प्रतिशत प्रोन्नति आफसैट प्लेट मेकर से
6.	आफसैट प्लेट मेकर/2400	06	100 प्रतिशत प्रोन्नति सहायक प्लेट मेकर से
7.	सहायक प्लेट मेकर/1900	08	50 प्रतिशत स्थानान्तरण/समायोजन आफसैट मशीन परिचर

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	पद संख्या	भर्ती स्रोत
			से व लेटर प्रेस/कम्पोजिंग अनुभाग से तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती
8.	ड्राफ्ट मैन अर्ह/2400	02	सीधी भर्ती
9.	कैमरामैन/2800	03	50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत प्रोन्नति प्लेट मेकर/डार्क रूम सहायक से
10.	डार्क रूम सहायक/प्रोसेसर ऑपरेटर/2400	05	50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत प्रोन्नति आफसेट मशीन सहायक से
11.	मशीन सहायक आफसैट/2400	32	90 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 10 प्रतिशत आफसैट मशीन परिचर से प्रोन्नति
12.	आफसैट मशीन परिचर/1900	03	50 प्रतिशत सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत समायोजन/प्रोन्नति (लेटर प्रेस/कम्पोजिंग अनुभाग के)

बाइन्ड्री अनुभाग :–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	पद संख्या	भर्ती स्रोत
1.	फोरमैन वाइन्ड्री/4200	01	100 प्रतिशत प्रोन्नति/समायोजन सहायक फोरमैन (समायोजन)
2.	सहायक फोरमैन/2800	03	100 प्रतिशत वाउचर सहायक व बाइन्डर से प्रोन्नति।
3.	वाउचर सहायक/2400	01	100 प्रतिशत बाइन्डर/सहायक बाइन्डर से प्रोन्नति
4.	बाइन्डर/2400	36	100 प्रतिशत प्रोन्नति सहायक जिल्दसाज से (व्यवसायिक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर)
5.	सहायक जिल्दसाज/1900	32	सीधी भर्ती/कम्पोजिंग अनुभाग के कर्मचारियों का समायोजन द्वारा/कुलियों से प्रोन्नति (20 प्रतिशत)

कार्यशाला अनुभाग :–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	पद संख्या	भर्ती स्रोत
1.	फोरमैन वर्कशॉप/4200	01	100 प्रतिशत प्रोन्नति सहायक फोरमैन से
2.	सहायक फोरमैन/2800	01	100 प्रतिशत प्रोन्नति मैकेनिक मुद्रण/जिल्दसाजी व वाउचर सहायक से
3.	वाउचर सहायक/2400	01	
4.	मैकेनिक (मुद्रण/जिल्दसाजी)/2400	06	50 प्रतिशत सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत प्रोन्नति सहायक मैकेनिक (मुद्रण जिल्दसाजी) से
5.	सहायक मैकेनिक (मुद्रण/जिल्दसाजी)/1900	01	50 प्रतिशत सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत फाउन्ड्री सहायक से
6.	फाउण्ड्री सहायक/1800	04	सीधी भर्ती
			इलैक्ट्रिकल:–
7.	अवर अभियन्ता/2800	01	सीधी भर्ती आयोग से

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	पद संख्या	भर्ती स्रोत
8.	इलैक्ट्रीशियन/2400	03	50 प्रतिशत सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत प्रोन्नति
9.	सहायक इलैक्ट्रीशियन/ अर्मिचर बाइन्डर/1900	03	80 प्रतिशत सीधी भर्ती व 20 प्रतिशत प्रोन्नति पम्प ऑपरेटर/फाउण्ड्री सहायक से
10.	ट्यूबवैल ऑपरेटर/1800	03	50 प्रतिशत सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत प्रोन्नति कुली से

रीडिंग अनुभाग :–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	पद संख्या	भर्ती स्रोत
1.	प्रधान रीडर/4200	01	प्रोन्नति रीडर से
2.	रीडर/2400	06	प्रोन्नति रिवाइजर से
3.	रिवाइजर/2400	04	प्रोन्नति कापी होल्डर से
4.	कापी होल्डर/1900	06	सीधी भर्ती द्वारा

उक्त स्थितियों के दृष्टिगत विभिन्न पदों, उनकी संख्या तथा वेतनमान में इंगित हो रही विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः निम्न बिन्दु विचार योग्य हैं :–

1. कम्पोजिंग अनुभाग में ओवर सियर का पद समाप्त किया जाय।

2. आफसैट अनुभाग में फोरमैन का 01 ही पद रखा जाय एवं वाउचर सहायक का पद समाप्त करने पर विचार किया जाय। आफसैट मशीन मैन ग्रेड–2 के पदों की संख्या 02 की जाय क्योंकि जिस पद से प्रोन्नति होनी है उसकी संख्या केवल 06 है जबकि मशीन मैन ग्रेड–2 के 19 पद हैं। इसी तरह सहायक प्लेट मेकर के 08 पदों से 100 प्रतिशत प्रोन्नति वाले प्लेट मैकर के 06 पद होने के कारण प्लेट मैकर के पदों की संख्या 04 की जाय। ड्राफ्ट मैन अर्ह का पद भी समाप्त करने पर विचार किया जाय। आफसैट मशीन सहायक के 32 पदों को कम कर 04 (कार्यरत संख्या) किया जाने पर विचार किया जाय।

3. बाइन्ड्री अनुभाग में सहायक फोरमैन के पदों की संख्या 02 की जाय एवं वाउचर सहायक का पद समाप्त करने पर विचार किया जाय। बाइन्डर के 36 पदों की संख्या को कार्यरत संख्या (11) तक सीमित किया जाय। सहायक जिल्दसाज के पदों की संख्या 32 है जबकि कार्यरत शून्य हैं, अतः इनकी संख्या भी न्यून (11) किया जाय।

4. कार्यशाला अनुभाग में मैकेनिक (मुद्रण/जिल्दसाजी) की पद संख्या 06 के स्थान पर 02 अथवा 03 की जा सकती है एवं फाउन्ड्री सहायक पदों की संख्या भी 02 की जाय।

5. इलैक्ट्रीकल शाखा में अवर अभियन्ता का पद, जो रिक्त है, समाप्त किया जाय तथा इलैक्ट्रीशियन (कार्यरत 01) की पद संख्या 01 ही रखी जाय। ट्यूबवैल ऑपरेटर के पद रिक्त हैं अतः आउटसोर्स से कार्य कराने पर विचार किया जाय।

6. रीडिंग अनुभाग में रीडर के पद पर रिवाइजर से 100 प्रतिशत प्रोन्नति है परन्तु रीडर के 06 पद व रिवाइजर के 04 पद है, अतः रीडर की पद संख्या 02 या 03 की जाय। उल्लेखनीय है कि इस अनुभाग में प्रधान रीडर, रीडर, रिवाइजर व कापी होल्डर सभी पद रिक्त हैं।

(33) श्रम विभाग/सेवायोजन विभाग

राज्य में श्रम आयुक्त संगठन स्थापित व संचालित है। इस संगठन में पदों से सम्बन्धित सूचना निम्नानुसार सूचित की गई है :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	श्रमायुक्त	01	01	–	आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग
2.	अपर श्रम आयुक्त	01	–	01	
3.	संयुक्त श्रम आयुक्त	01	–	01	
4.	उप श्रमायुक्त	05	03	02	02–02 पद गढ़वाल व कुमायूं क्षेत्र कार्यालय में
5.	सहायक श्रम आयुक्त	11	04	07	04–04 पद गढ़वाल व कुमायूं क्षेत्र कार्यालय में
6.	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	32	17	15	
7.	श्रम अन्वेषक	01	–	01	श्रम आयुक्त कार्यालय में
8.	वित्त अधिकारी	01	01	–	
9.	सहायक लेखाधिकारी	03	02	01	
10.	लेखाकार	03	–	03	
11.	लेखा निरीक्षक	02	–	02	
12.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	06	03	03	
13.	वरिष्ठ प्रशा0 अधिकारी	09	09	–	
14.	प्रशासनिक अधिकारी	09	08	01	
15.	प्रधान सहायक	19	14	15	
16.	वरिष्ठ सहायक	29	26	03	
17.	कनिष्ठ सहायक/डाटा एंट्री ऑपरेटर	35	18	17	
18.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	03	01	02	
19.	वैयक्तिक सहायक	02	01	01	
20.	सहायक प्रोग्रामर	01	–	01	
21.	चिकित्साधिकारी	01	–	01	मृत संवर्ग
22.	कम्पाउण्डर–II	04	01	03	मृत संवर्ग
23.	कम्पाउण्डर–I	02	–	02	मृत संवर्ग
24.	मिडवाइफ	03	01	02	मृत संवर्ग
25.	दाई	03	01	02	मृत संवर्ग

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
26.	सिलाई शिक्षिका/गृह सहायिका	04	01	03	मृत संवर्ग
27.	सहायक संचालक	01	–	01	तदैव
28.	वाहन चालक	12	04	08	
29.	अनुसेवक	58	33	25	
30.	विद्युतकार	01	01	–	
31.	स्वच्छकार/चौकीदार	16	05	11	
32.	हितकारी अधीक्षक	02	–	02	
33.	सहायक हितकारी अधीक्षक	01	01	–	
34.	हितकारी सहायक	02	01	01	
	योग	**284**	**157**	**127**	

उक्त के अतिरिक्त कारखाना प्रभाग अंतर्गत निम्नानुसार पदों की सूचना सूचित की गई है :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	उप निदेशक, कारखाना/व्यायलर	01	01	–	
2.	सहायक निदेशक, कारखाना/व्यायलर	01	01	–	
3.	मुख्य प्रशा0 अधिकारी	01	–	01	
4.	वरिष्ठ प्रशा0 अधिकारी	01	–	01	
5.	प्रशासनिक अधिकारी	01	01	–	
6.	प्रधान सहायक	02	01	01	
7.	वरिष्ठ सहायक	02	02	–	
8.	कनिष्ठ सहायक/डाटा एंट्री ऑपरेटर	02	–	02	
9.	वैयक्तिक सहायक	02	02	–	
10.	अनुसेवक	06	05	01	
	योग	**19**	**13**	**06**	

संविदा कर्मियों सहित वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी कुल व्यय लगभग रू 9.59 करोड़ सूचित किया गया है। सभी पद भरे होने की दशा में यह व्यय लगभग रू0 17.08 करोड़ होता और सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार इसके सापेक्ष वेतन व्यय लगभग रू0 19.60 करोड़ होता है।

सेवायोजन विभाग में मुख्यालय तथा क्षेत्रीय/जनपद स्तर पर पदों की स्थिति निम्नानुसार अवगत कराई गई है:–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	उपनिदेशक/6600	01	01	–	
2.	सहायक निदेशक/5400	02	01	01	
3.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी/5400	04	01	03	01 पद मुख्यालय में जो रिक्त है
4.	जिला/सहायक सेवायोजन अधिकारी/4600	46	15	31	
5.	प्राविधिक सहायक/4200	05	01	04	01 पद मुख्यालय में जो रिक्त है
6.	अन्वेषक कम संगणक/4200	18	02	16	02 मुख्यालय में जो रिक्त है
7.	अनुदेशक शिक्षण केंद्र/4200	57	12	45	
8.	मुख्य प्रशा0 अधिकारी/5400	02	–	02	
9.	वरिष्ठ प्रशा0 अधिकारी/4800	14	14	–	
10.	प्रशा0 अधिकारी/4600	14	08	06	
11.	प्रधान सहायक/4200	26	11	15	
12.	वरिष्ठ सहायक/2800	40	35	5	
13.	कनिष्ठ सहायक/2000	47	13	34	
14.	लाइब्रेरियन/2800	04	02	02	
15.	चतुर्थ श्रेणी	81	39	42	
	योग	**361**	**155**	**206**	

प्राप्त सूचनाओं के क्रम में निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं :–

1. अपर श्रम आयुक्त तथा संयुक्त श्रम आयुक्त के क्रमशः 01–01 पद हैं परन्तु दोनों पद रिक्त हैं। श्रमायुक्त (आई0एस0एस0 अथवा पी0सी0एस0 संवर्ग से नियुक्ति) के अधीनस्थ अपर श्रमायुक्त व संयुक्त श्रम आयुक्त पद पर 01–01 पद का औचित्य नहीं है अतः अपर श्रमायुक्त का पद समाप्त किया जाना चाहिए।

2. उप श्रमायुक्त के कुल 05 पद स्वीकृत हैं तथा 03 पद कार्यरत हैं। इस हेतु मुख्यालय एवं गढ़वाल व कुमायूं क्षेत्र के लिए 01–01 पद कुल 03 पद ही रखने पर विचार किया जा सकता है।

3. सहायक श्रमायुक्त के 11 पदों के सापेक्ष 04 कार्यरत बताए गये हैं इस स्तर पर कुल 06 पद रखे जा सकते हैं जिसमें 02 पद मुख्यालय व 02–02 पद क्रमशः गढ़वाल व कुमायूं क्षेत्र के लिए होंगे।

4. श्रम प्रवर्तन अधिकारी के कुल 32 पद हैं जिसमें 17 कार्यरत हैं। इस पद की संख्या कुल 20–22 तक रखी जा सकती है जिनका बंटवारा जनपदों के मध्य कार्य की मात्रा अनुसार किया जा सकता है जबकि 02–03 पद मुख्यालय में रखे जा सकते हैं।

5. श्रम अन्वेषक का एकमात्र पद समाप्त कर दिया जाय। यह पद वर्तमान में रिक्त है सम्बन्धित कार्य श्रम प्रवर्तन अधिकारी स्तर पर किया जा सकता है।

6. वित्त अधिकारी का 01 पद व सहायक लेखाधिकारी के 03 पद हैं। साथ ही लेखाकार के भी 03 पद हैं। उचित होगा कि सहायक लेखाधिकारी के सभी तीनों पर समाप्त कर दिये जायें।

7. लेखा निरीक्षक का पद समाप्त कर दिया जाय क्योंकि आडिट विभाग गठित हो चुका है, दोनों पद रिक्त भी हैं। सहायक प्रोग्रामर का पद समाप्त कर दिया जाय। यह पद भी रिक्त है।

8. चिकित्साधिकारी, कम्पाउण्डर, मिडवाइफ, दाई, सिलाई शिक्षिका/गृह सहायिका व सहायक संचालक पद मृत संवर्ग घोषित हैं। इन पदों से सम्बन्धित कर्मियों को अन्य सम्बन्धित विभागों जहां ऐसे पद हों तथा रिक्त हों वहां समायोजित किया जाना चाहिए।

9. विद्युतकार का 01 पद है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए।

10. वाहन चालक के 12 पदों के सापेक्ष 04 कार्यरत, अनुसेवक के 58 पदों पर 33 कार्यरत तथा स्वच्छकार/चौकीदार के 10 पदों के सापेक्ष 05 कार्यरत हैं। इन पदों की संख्या को कार्यरत की सीमा तक कम किया जाय। अनुसेवक की पद संख्या कार्यरत संख्या (33) से भी कम कर वास्तविक न्यूनतम आवश्यकता की सीमा में रखा जाय। इन पदों पर आउटसोर्सिंग आधार पर सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

10. हितकारी अधीक्षक, सहायक हितकारी अधीक्षक एवं हितकारी सहायक के क्रमशः 02, 01 व 02 पद स्वीकृत हैं। इन पदों को भी समाप्त किया जा सकता है।

11. लिपिक संवर्ग में कुल लगभग 107 पद श्रमायुक्त शाखा में है जहां कुल पद संख्या 284 है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के 06 पद एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी के क्रमशः 09–09 पद हैं, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक व कनिष्ठ सहायक के क्रमशः 19, 29, 35 पद हैं, यह स्थिति कदाचित स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था से है। अतः कार्य भी वास्तविक न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप पदों की संख्या कम की जा सकती है तथा स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और पदों की संख्या वास्तविक न्यूनतम आवश्यकता व पिरामिड सिद्धान्त अनुरूप निर्धारित की जानी चाहिए।

12. वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के 03 पद व वैयक्तिक सहायक के 02 पद हैं, इसे भी वास्तविक न्यूनतम आवश्यकता व पिरामिड सिद्धान्त अनुरूप ठीक किया जाना चाहिए।

13. सेवायोजन में क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के 04 पद व सहायक निदेशक के 02 पद हैं जो ग्रेड वेतन 5400 में हैं। जिला सेवायोजन कार्यालय होने की स्थिति (जो कि ठीक है) में क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी पद का औचित्य नहीं है तथा मुख्यालय में सहायक निदेशक पद है ही, अतः क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी पद समाप्त करने पर विचार किया जाय।

जिला/सहायक सेवायोजन अधिकारी के 46 पद हैं जिसमें कार्यरत पद 15 ही हैं। प्रत्येक जनपद के अनुसार एवं कतिपय बड़े जनपदों/शहरों के दृष्टिगत कुछ अतिरिक्त पद सहित कुल लगभग 20 पद ही रखने पर विचार किया जा सकता है। प्राविधिक सहायक का पद समाप्त किया जा सकता है जबकि अन्वेषक कम संगणक के पद केवल मुख्यालय में ही रखे जायें जिनकी संख्या 03 अथवा 04 तक ही रखी जा सकती है। शिक्षण केंद्रों में अनुदेशकों के कुल 57 पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष कुल 12 कार्यरत हैं। चूंकि आई0टी0आई0 व पॉलीटैक्निक बड़ी संख्या में खुल चुके हैं अतः शिक्षण केंद्रों का पृथक संचालन करने के स्थान पर यह कार्य आई0टी0आई0/पॉलीटैक्निकों में ही उनकी व्यवस्था में ही कराया जा सकता है। अतः अनुदेशकों के पद समाप्त कर कार्यरत स्टाफ का समायोजन किया जाना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी के पदों की संख्या भी न्यूनतम वास्तविक आवश्यकतानुसार रखी जाय जिसे किसी भी दशा में 40 से अधिक नहीं रखना चाहिए। लिपिक संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न पर पुनर्विचार सहित पदों की कुल संख्या वास्तविक न्यूनतम आवश्यकता आधार पर सीमित किया जाय जो कार्यरत संख्या तक ही रहे।

(34) भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय का अंग है। उत्तराखण्ड राज्य में खनिकर्म व भूतत्व सम्बन्धी कार्य वित्तीय संसाधन, आपदा, पर्यावरण आदि विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी व्यय इस ईकाई का लगभग 5 करोड़ है। खनन से राज्य को वर्ष 2015–16 रू0 272 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। पदों की स्थिति निम्नानुसार अवगत कराई गई है:–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	अपर निदेशक/8700	01	01	–	
2.	संयुक्त निदेशक/मुख्य खनन अधिकारी/7600	02	01	01	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
3.	उप निदेशक/भू वैज्ञानिक/6600	06	03	03	
4.	ज्येष्ठ खनन अधिकारी/6600	03	02	01	
5.	रसायनज्ञ/6600	01	01	–	
6.	सहायक भू वैज्ञानिक/5400	12	05	07	
7.	सहायक रसायनज्ञ/5400	02	02	–	
8.	सहायक भू–भौतिक विद/5400	01	–	01	
9.	सहायक भू–रसायनज्ञ/5400	01	–	01	
10.	सर्वेक्षण अधिकारी/5400	01	01	–	
11.	खनन अधिकारी/5400	06	02	04	
12.	प्राविधिक सहायक भू–विज्ञान/4200	02	01	01	
13.	प्राविधिक सहायक फोटो जियोलॉजी/4200	01	–	01	
14.	प्राविधिक सहायक रसायन/4200	02	01	01	
15.	प्राविधिक सहायक भू–भौतिकी/4200	01	–	01	
16.	वरिष्ठ मानचित्रकार/4200	01	–	01	
17.	खनन निरीक्षक/4200	12	–	12	
18.	वेधक/4200	02	–	02	
19.	मानचित्रकार/4200	03	02	01	
20.	सर्वेक्षक/	08	06	02	
21.	वेधन सहायक/2000	04	01	03	
22.	वेधन ऑपरेटर/1900	06	02	04	
23.	जैक हैकर ड्रिलर/190	01	–	01	मृत संवर्ग
24.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	01	–	
25.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02	02	–	
26.	प्रशासनिक अधिकारी	02	02	–	
27.	मुख्य सहायक	04	01	03	
28.	वरिष्ठ सहायक	06	05	01	
29.	कनिष्ठ सहायक	06	01	05	
30.	लाईब्रेरियन	01	–	01	
31.	आशुलिपिक	03	01	02	
32.	लेखा लिपिक	01	–	01	
33.	खनिज अंकिक/2400	01	–	01	
34.	रोकड़िया	01	–	01	
35.	खनिज मोहर्रिर/1900	24	14	10	
36.	सहायक भण्डारी	01	01	–	
37.	मैकेनिक/1900	04	02	02	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
38.	चालक	09	06	03	
39.	सैक्शन कटर/1800	01	01	–	
40.	प्रयोगशाला परिचर	02	01	01	
41.	चपरासी	16	14	02	
42.	चेन मैन	06	05	01	
43.	फील्ड परिचर	06	03	03	
44.	चौकीदार	06	02	04	
	योग	**182**	**93**	**89**	

उक्तानुसार पदों व कार्यरत कर्मियों की सूचना के साथ–साथ यह भी सूचित किया है कि भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई अंतर्गत उद्योग निदेशालय स्तर पर 51 कार्मिक तथा शेष विभिन्न जनपदों में कार्यरत हैं। जनपदों (केवल 7 जनपद क्रमशः देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं नैनीताल) में तैनाती की सूचना में एकरूपता नहीं है, कदाचित कार्य की मात्रा अनुसार जनपदों के लिए तैनाती के मानक बनाए गये होंगे जिसकी जानकारी समिति को नहीं हो पाई है। जनपद टिहरी गढ़वाल में केवल एक चपरासी कार्यरत है।

भूतत्व एवं खनिज सम्बन्धी कार्य/विषय राज्य के लिए राजस्व अर्जन सहित कुछ अन्य बिन्दुओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील हैं। राज्य में शासनादेश दिनांक 03 दिसम्बर, 2001 से इस ईकाई का संरचनात्मक ढांचा गठन किया गया तथा शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई में क्रमशः भू वैज्ञानिक एवं खनिकर्म शाखाओं का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में कार्यरत व स्वीकृत पदों की स्थिति अनुसार यदि सभी पद भरे होते तो वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतन व्यय लगभग रू0 9.79 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार लगभग रू0 11.30 करोड़ होता है।

ईकाई में कतिपय पद एकल हैं एवं रिक्त हैं अथवा कई अन्य मामलों में सृजित पदों के सापेक्ष या तो सभी पद रिक्त हैं अथवा कई पद रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में इस महत्वपूर्ण ईकाई के कार्य सम्पादन में जो कोई कठिनाईयां हों उसकी जानकारी समिति को नहीं है। अतः मात्र पद स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त होने सम्बन्धी विवरण से कोई मन्तव्य पदों की संख्या के युक्तिकरण के सम्बन्ध में प्रकट करना चुनौतीपूर्ण है। ऐसी दशा में निम्नलिखित बिन्दु कार्यवाही हेतु विचार योग्य हैं :–

1. जनपद स्तर पर केवल वही पद रखे जायें जो वास्तव में आवश्यक एवं उपयोगी हों। इस सम्बन्ध में जहां कहीं संभव हो एकल पदों को समाप्त करने पर विचार किया जाय।

2. विभिन्न संवर्गों की सेवा नियमावलियों की प्रति प्राप्त नहीं हुई हैं जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से पद सीधी भर्ती के हैं तथा कौन से पद प्रोन्नति के हैं। साथ ही प्रोन्नति के फीडर पदों की भी जानकारी नहीं हो पायी। उल्लेखनीय है कि कई विभिन्न पद एक ही

ग्रेड वेतन/सातवें वेतन मैट्रिक्स में समान स्तर के हैं, यथा ग्रेड वेतन 7600 में संयुक्त निदेशक तथा मुख्य खनन अधिकारी, ग्रेड वेतन 6600 में उप निदेशक, भू–वैज्ञानिक, ज्येष्ठ खनन अधिकारी तथा रसायनज्ञ, ग्रेड वेतन 5400 में सहायक भू–वैज्ञानिक, सहायक रसायनज्ञ, सहायक भू–भौतिक विद, सहायक भू–रसायनज्ञ, सर्वेक्षण अधिकारी तथा खनन अधिकारी, ग्रेड वेतन 4200 में प्राविधिक सहायक भू–विज्ञान, प्राविधिक सहायक फोटो जियोलॉजी, प्राविधिक सहायक रसायन, प्राविधिक सहायक भू–भौतिकी, वरिष्ठ मानचित्रकार, मानचित्रकार, खनन निरीक्षक व बेधक पद सृजित हैं। एक ग्रेड वेतन वाले विभिन्न ऐसे पदों, जिनका भर्ती स्रोत एक ही हो/समान हो, को एकीकृत करने पर विचार किया जाय।

3. लेखा लिपिक व रोकड़िया पद समाप्त किया जाय क्योंकि अब इनकी व्यवस्था नहीं है।

(35) कृषि विभाग

2014–15 के आकड़ों (सांख्यकीय डायरी) अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में कुल भूमि क्षेत्रफल 5992272 हैक्टेयर है जिसमें लगभग 3799953 हैक्टेयर (63 प्रतिशत) वन क्षेत्र है एवं शुद्ध बोया क्षेत्रद्यफल 701030 है० (12 प्रतिशत) तथा कृषि योग्य बेकार भूमि 316898 है० (6 प्रतिशत) है। 2010–11 के आकड़ों अनुसार 1.00 है० से कम की लागत 73.65 प्रतिशत जोत है जिनका क्षेत्रफल 295556 हैक्टेयर (36.23 प्रतिशत)। इस प्रकार कृषि क्षेत्रफल के 36.23 प्रतिशत भाग में 73.65 प्रतिशत जोत 1.00 है० से कम की हैं। कृषि क्षेत्रफल के सापेक्ष लगभग 47 प्रतिशत सिंचित है जिसमें 74 प्रतिशत सिंचित भूमि मैदानी क्षेत्र में है। 2015–16 में मुख्य फसलों अंतर्गत क्षेत्रफल व उत्पादन के आकड़े निम्नवत हैं–

क्र0	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	उत्पादन (मीट्रिक टन)
1.	अनाज	800936	1641100
2.	दालें	62864	51534
3.	तिलहन	32218	35538
4.	अन्य फसल (गन्ना)	96854	5885755

उद्यान अंतर्गत व उत्पादन के आकड़े (2014–15) निम्नवत हैं –

क्र0	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	उत्पादन (मीट्रिक टन)
1.	फल	204959	785965
2.	सब्जियां	72339	657157
3.	आलू	2836	452495

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि व उद्यान अंतर्गत उपयोग होने वाली भूमि सीमित है और इस उद्देश्य हेतु उत्तरोत्तर भूमि क्षेत्रफल में कमी ही होनी है। साथ ही छोटी जोतों की संख्या अधिक होने की भी चुनौतियां हैं और सिंचित क्षेत्रफल सीमित होने की स्थिति भी विद्यमान है।

इन विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत कृषि, उद्यान, जड़ी–बूटी/सगंध पौध एवं रेशम सम्बन्धी गतिविधियों के लिए नीति बनाने, योजनाएं बनाने, क्रियान्वयन करने आदि के सम्बन्ध में एक ओर समन्वय व समूहीकरण/एकीकरण की दिशा में विचार करने की आवश्यकता है तो दूसरी ओर विविधीकरण वैज्ञानिक पद्धति अपनाये जाने एवं जंगली जानवरों व बन्दरों की समस्या के परिपेक्ष्य में भी सगन्ध पौध/जड़ी–बूटी उत्पादन को अपनाये जाने के अतिरिक्त एक गांव एक फार्म, सहकारी फार्मिंग व पर्वतीय चकबन्दी आदि को अपनाये जाने पर विचार करने की आवश्यकता है।

कृषि विभाग में श्रेणीवार पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार सूचित किया गया है :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	श्रेणी–1	27	20	7	
2.	श्रेणी–2	68	43	25	
	योग	**95**	**63**	**32**	
3.	श्रेणी–3	1814	1194	620	
	1. अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1	265	178	87	
	2. अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2	448	384	64	
	3. अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3	483	252	231	
	4. कनिष्ठ अभियन्ता	54	35	19	
	5. मिनिस्टीरियल/लेखा/अन्य संवर्ग	564	345	219	
4.	श्रेणी–4 (चतुर्थ श्रेणी/वाहन चालक)	580	280	300	
	महायोग	**2489**	**1537**	**952**	

पदवार विस्तृत सूचना निम्नवत् बताई गई है :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	कृषि निदेशक/10000	01	01	–	
2.	अपर कृषि निदेशक/8700	02	02	–	निदेशक के साथ मुख्यालय में व 01 पौड़ी में
3.	वित्त नियंत्रक/8700	01	01	–	वित्त सेवा से
4.	संयुक्त कृषि निदेशक/7600	05	01	04	01 पद कुमायूं मण्डल मुख्यालय, 01 सांख्यिकीय विभाग सहित 03 अन्य विभागाध्यक्ष कार्यालय में
5.	उप कृषि निदेशक/मुख्य कृषि अधिकारी/6600	18	15	03	13 पद जनपदों में, 04 विभागाध्यक्ष कार्यालयों में, 01 राजस्व परिषद हेतु

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
6.	सहायक निदेशक/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधि0/5400	68	43	25	
7.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/5400	16	06	10	
8.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0/4800	22	22	–	
9.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	22	22	–	
10.	प्रधान सहायक/4200	49	49	–	
11.	वरिष्ठ सहायक/2800	77	68	09	
12.	कनिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/2000	88	59	29	
13.	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी/5400	02	01	01	
14.	वैयक्तिक अधिकारी/4600	04	03	01	
15.	वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी/4200	09	04	05	
16.	वैयक्तिक सहायक/2800	12	08	04	
17.	सहायक लेखाधिकारी/4800	03	03	–	
18.	अपर सांख्यकीय अधिकारी वर्ग–1/4600	29	16	13	
19.	सहायक सांख्यकीय अधिकारी वर्ग–2/4200	44	30	14	
20.	लेखाकार/4200	20	17	03	
21.	सहायक लेखाकार/2800	69	15	54	
22.	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1/4600	236	162	74	
23.	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2/2800	404	354	50	
24.	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3/2400	483	252	231	
25.	कनिष्ठ अभियन्ता/4600	54	35	19	
26.	वरिष्ठ मानचित्रक/4200	04	02	02	
27.	मानचित्रक/4200	26	10	16	
28.	राजस्व निरीक्षक/2800	13	13	–	
29.	संगणक/डाटा एंट्री ऑपरेटर/2800	04	01	03	
30.	वरिष्ठ कृषि रक्षा यांत्रिक/2000	01	–	01	मृत संवर्ग घोषित
31.	कृषि रक्षा यांत्रिक/1900	22	02	20	मृत संवर्ग घोषित
32.	अनुसेवक/1900	37	16	21	मृत संवर्ग घोषित

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
33.	वाहन चालक/1900	64	24	40	मृत संवर्ग घोषित
34.	चतुर्थ श्रेणी/1800	580	280	300	मृत संवर्ग घोषित
	योग	**2489**	**1537**	**952**	

वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 83.28 करोड़ सूचित किया गया है। सभी पद भरे होने की स्थिति में वेतन व्यय वर्ष 2015–16 में लगभग रू0 134.86 करोड़ होता तथा सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार सभी पद भरे होने की दशा में वेतन व्यय लगभग रू0 155 करोड़ होता है। उल्लेखनीय है कि योजनागत व्यय वर्ष 2015–16 में लगभग रू0 109.36 करोड़ एवं 2016–17 में लगभग रू0 133.95 करोड़ सूचित किया गया है जिसमें केंद्र पोषित योजनागत व्यय क्रमशः लगभग रू0 92.93 करोड़ व रू0 116.62 करोड़ इंगित किया गया है।

अधिसूचना दिनांक 02 अगस्त 2003 के माध्यम उत्तराखण्ड राज्य में कृषि विभाग में उपलब्ध विभिन्न शाखाओं में अंतर्निहित पदों को पुनर्गठित करते हुए कुल 2609 पद सृजन किये गये थे। ईकाईवार पदों का सारांश निम्नवत् इंगित है जिसमें कुल 2249 पद ही वर्णित हैं :–

क्र0	विवरण	विभिन्न पदों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1.	निदेशालय	204	53 प्रकार के पद
2.	मंडलीय अपर/संयुक्त निदेशक कार्यालय	94	24 प्रकार के पद (अपर निदेशक पौड़ी/संयुक्त निदेशक हल्द्वानी)
3.	जनपद कार्यालय	482	22 प्रकार के पद एवं 308 चतुर्थ श्रेणी
4.	जलागम प्रबंधक ईकाईयां	874	25 ईकाईयां (पुनर्गठन उपरान्त 35 ईकाईयां)
5.	वनस्पति संरक्षण (कृषि रक्षा)	249	
6.	कृषि सांख्यकी (फसल सर्वेक्षण योजना) में जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी अधिष्ठान	57	
7.	कृषि सांख्यिकी सुधार योजना (जिलाधिकारी) जिलाधिकारी अधिष्ठान हेतु	02	केवल 02 जनपद में
8.	कृषि सांख्यकीय फसलों के क्षेत्रफल अनुमान हेतु जिलाधिकारी अधिष्ठान में	02	केवल दो जनपद में
9.	राजस्व परिषद में कृषि सांख्यिकी योजना हेतु	17	
10.	कृषि विपणन हेतु जनपद पर	28	
11.	कृषि विपणन हेतु मण्डी स्तर पर	21	
12.	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु	104	
13.	क्षेत्रीय मृदा परीक्षणशालाओं हेतु	30	तीन प्रयोगशालाएं
14.	राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र	42	दो केंद्र क्रमशः पौड़ी, मजखाली

क्र0	विवरण	विभिन्न पदों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
15.	सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र हेतु	24	हल्द्वानी केंद्र में
16.	कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र, चिन्यालीसौड़	11	
17.	बीज परीक्षण प्रयोगशाला हल्द्वानी	07	
	योग	**2249**	

अधिसूचना दिनांक 28 मई, 2010 अनुसार अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, 2 एवं 3 के पदों का पुनर्गठन किया गया जिसके फलस्वरूप 117 पदों की कमी किया जाना इंगित हुआ है।

विभाग में कुल पदों के सम्बन्ध में विभिन्न समय में निर्गत अधिसूचनाओं में भिन्नता को स्पष्ट करने हेतु कृषि निदेशालय से स्थिति स्पष्ट करने की प्रक्रिया में उनके प्रतिनिधि से प्राप्त मौखिक विवरण अनुसार विभाग में एक रेखीय प्रणाली (single window system) लागू किया गया है जिसके फलस्वरूप अब विभाग में कुल 2489 पद सृजित होना सत्यापित किया गया जिसके सापेक्ष 01 मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार कुल 1497 पद कार्यरत व 993 पद रिक्त होना सूचित किया गया है। पूर्व सूचना एवं वर्तमान सूचना में कार्यरत व रिक्त पद की संख्या में भिन्नता की स्थिति कदाचित सेवानिवृत्ति आदि के फलस्वरूप है। विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया कि 2003 की अधिसूचना में इंगित ईकाईयों में से कतिपय ईकाईयों की प्रास्थिति बदल गई है जैसा कि कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र चिन्यालीसौड़ कदाचित पन्तनगर विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र बन गया है, कृषि विपणन हेतु जनपद स्तर की व्यवस्था नहीं रही, जलागम प्रबंध ईकाईयां एवं वनस्पति संरक्षण (कृषि रक्षा) ईकाई की भी स्थिति परिवर्तित हुई है। यह अवगत कराया गया कि अब एक रेखीय व्यवस्था में न्याय पंचायत स्तर पर कृषि निवेश भण्डार हैं जिसमें बीज, खाद, दवा एवं यंत्र आदि सभी सेवाएं दी जाती हैं और ग्रेड वेतन 2400 में वर्ग–3 तथा ग्रेड वेतन 2800 में वर्ग–2 के कार्मिक के अधीन यह कार्य करता है। विकासखण्ड स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी (अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1) ग्रेड वेतन 4600 तथा 2–3 विकासखण्डों पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी (ग्रेड वेतन 5400), जनपद स्तर पर मुख्य कृषि अधिकारी (ग्रेड वेतन 6600) तथा मंडल स्तर पर अपर/संयुक्त निदेशक तथा राज्य स्तर पर निदेशालय की व्यवस्था है।

उक्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्य में 670 न्याय पंचायतों में से 187 न्याय पंचायतों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (ग्रेड वेतन 2800) के 187 पद तथा 483 न्याय पंचायतों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 (ग्रेड वेतन 2400) के 483 पद हैं। वर्ग–3 में केवल 483 पद हैं जबकि वर्ग–2 में उक्त 187 के अतिरिक्त विकासखण्डों हेतु 95 सहित अन्य ईकाईयों में भी पद स्वीकृत हैं जिसमें वर्ग–2 के पदों की कुल संख्या 404 है। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 में विकासखण्डों में 95 पद सहित अन्य ईकाईयों के पदों के साथ कुल 236 पद हैं।

उपलब्ध कराई गई ढांचे/पदों सम्बन्धित सूचना के आलोक में यह स्पष्ट इंगित होता है कि कृषि विभाग अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर तक पद स्वीकृत हैं तथा विभिन्न कार्य क्षेत्रों हेतु पदों का सृजन किया गया है। युक्तिकरण व सही आकार की दृष्टि से निम्नलिखित बिन्दु कार्यवाही हेतु विचारणीय प्रतीत होते हैं :–

1. कृषि एवं उद्यान विभाग के एकीकरण पर विचार किया जाय तथा एकीकरण की दशा में कृषि विभाग के निदेशक व एक अपर निदेशक का पद समाप्त कर दिया जा सकता है तथा कृषि शाखा हेतु अपर निदेशक का 01 ही पद रखा जा सकता है।

2. निदेशालय में सहायक निदेशक स्तर पर अनुश्रवण व नियोजन हेतु पृथक–पृथक पद हैं। नियोजन एवं अनुश्रवण कार्य एक ही अधिकारी को सौंपते हुए 01 पद कम कर दिया जाना चाहिए। साथ ही सहायक निदेशक सम्प्रेक्षण पद का भी औचित्य नहीं प्रतीत होता जिसे भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

3. लेखाधिकारी वित्त एवं लेखाधिकारी (सम्प्रेक्षण) के पद यदि हैं तो उन्हें समाप्त कर दिया जाय क्योंकि सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार व सहायक लेखाकार सहित वित्त नियंत्रक पद भी हैं। लेखाकार व सहायक लेखाकार के निदेशालय में क्रमशः 05 व 11 पद होना इंगित हुआ है जिन्हें क्रमशः 03 व 06 किया जा सकता है।

4. निदेशालय में अपर सांख्यकीय अधिकारी वर्ग–1 के कदाचित कुल 08 पद होना स्पष्ट होता है। इस पद की संख्या 02 तक सीमित कर दी जानी चाहिए। इसी प्रकार कनिष्ठ सांख्यिकी निरीक्षक (अन्वेषक कम संगणक) के 06 पद होना इंगित होता है जिन्हें भी अधिकतम 04 तक सीमित किया जा सकता है।

5. मंडल स्तर पर सहायक लेखाधिकारी के 02 पद सहित लेखाकार के 02 पद एवं सहायक लेखाकार के 04 पद होना इंगित होता है। चूंकि मंडल स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता व वित्तीय कार्य सीमित होता है, अतः सहायक लेखाधिकारी के पद समाप्त किये जा सकते हैं।

   मंडल स्तर पर ही कनिष्ठ सांख्यिकी निरीक्षक/अन्वेषक–कम–संगणक के 15 पद होना इंगित हैं। चूंकि मंडल स्तर पर प्रारम्भिक आंकड़े एकत्रीकरण का कार्य नहीं होता, अतः इस पद की संख्या मंडल स्तर पर अधिकतम 04 तक सीमित की जा सकती है।

   मंडल स्तर में ही अनुरेखक के 08 पदों का औचित्य प्रतीत नहीं होता जिन्हें 04 तक सीमित किया जा सकता है।

6. न्याय पंचायत स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 व वर्ग–2 के क्रमशः 483 व 187 कुल 670 पद हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर पद की व्यवस्था करने के स्थान पर प्रत्येक 02 न्याय पंचायतों की हेतु 01 पद (01 कृषि निवेश भण्डार) की व्यवस्था किये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा इस स्तर पर केवल वर्ग–3 के कार्मिक का पद ही रहना चाहिए। इस प्रकार 670 के स्थान पर 335 पद वर्ग–3 के न्याय पंचायतों/कृषि निवेश भण्डार हेतु होंगे।

7. विकासखण्ड स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 के 95 पद रहें तथा अन्य इस श्रेणी के अधिकतम 80 पद अर्थात कुल 175 पद (404 के स्थान पर) रखे जा सकते हैं।

8. विकासखण्डों हेतु सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के 95 पदों को उक्त वर्ग–2 का पद होने के कारण बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है। अन्य ईकाईयों हेतु वर्ग–1 के अधिकतम 110 पद रखे जा सकते हैं।

9. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सम्बन्धी 35 ईकाईयों हेतु वर्ग–1 के 35 पद तथा वर्ग–2 के भी 35 पद हैं। इस हेतु वर्ग–2 अथवा वर्ग–1 किसी एक अंतर्गत ही 35 पदों को रखा जाना चाहिए। उपयुक्त होगा कि इसे वर्ग–1 में ही रखा जाय एवं वर्ग–2 में पद न रखा जाय।

10. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हेतु उक्तानुसार वर्ग–1 में यथोचित व्यवस्था हो जाने के दृष्टिगत ग्रेड वेतन 5400 में पद रखने की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार सहायक निदेशक व समकक्ष स्तर पर कुल 30–35 पद ही रखे जा सकते हैं।

11. जनपद में मुख्य कृषि अधिकारी पद के स्थान पर ग्रेड वेतन 5400 में जिला कृषि अधिकारी का पद रखा जाय जो सहायक निदेशक स्तर का ही होगा।

12. उपनिदेशक स्तर पर उक्त के क्रम में अधिकतम केवल 08 पद एवं सुयक्त निदेशक स्तर पर 04 पद रखने पर विचार किया जाय।

13. मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग एवं वैयक्तिक सहायक संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था लागू रखने पर पुनर्विचार किया जाय एवं विभिन्न स्तर पर न्यूनतम वास्तविक आवश्यकतानुसार पद रखे जाने चाहिए।

14. अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 में 29 पद व सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2 में 44 पद हैं। इन पदों की संख्या क्रमशः 16–20 एवं 34–36 तक अधिकतम रखी जा सकती है।

15. मानचित्रक के अधिकतम 15–17 पद रखे जा सकते हैं।

(36) गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के विभागीय ढांचे में निम्नानुसार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद सूचित किये गये हैं :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	गन्ना एवं चीनी आयुक्त	01	01	–	भा0प्र0 सेवा संवर्ग
2.	अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त/8700	01	–	01	
3.	संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त/7600	01	–	01	
4.	उप गन्ना एवं चीनी आयुक्त/6600	02	01	01	
5.	सहायक गन्ना आयुक्त/5400	04	–	04	
6.	सहायक चीनी आयुक्त/5400	01	–	01	
7.	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/4200	11	05	06	
8.	गन्ना विकास निरीक्षक/2800	72	34	38	
9.	गन्ना पर्यवेक्षक/2400	284	208	76	
10.	सांख्यिकी अधि0/5400	01	–	01	
11.	सांख्यिकी सहायक/4200	01	–	01	
12.	प्रचार अधिकारी/5400	01	–	01	
13.	वित्त एवं लेखाधिकारी/5400	01	–	01	
14.	खाण्डसारी अधि0/4200	01	–	01	
15.	खाण्डसारी निरीक्षक/2800	05	–	05	
16.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	08	08	–	
17.	प्रधान सहायक/4200	08	08	–	
18.	वरिष्ठ सहायक/2800	13	12	01	
19.	कनिष्ठ सहायक/2000	15	10	05	
20.	अन्वेषक कम संगणक/4200	02	–	02	
21.	सहायक लेखाकार/2800	02	–	02	
22.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक/4200	02	02	–	
23.	वैयक्तिक सहायक/2800				
24.	वाहन चालक/2000	03	–	03	
25.	अनुसेवक/1800	20	15	05	
	योग	**459**	**304**	**155**	

वर्ष 2015–16 में उक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों का वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 14.40 करोड़ था। यदि सब पद भर दिये जायें तो व्यय लगभग रू0 21.74 करोड़ (2015–16 की दरों पर) होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन अंतर्गत लगभग रू0 25 करोड़ होता है। अगले वर्षों में वार्षिक वेतन वृद्धि व प्रोन्नति आदि के फलस्वरूप वेतन सम्बन्धी व्यय भार तदानुसार अधिक होता जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त काशीपुर स्थित गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र में सृजित व कार्यरत पदों का विवरण निम्नानुसार ज्ञात हुआ है :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	अभ्युक्ति
1.	सहायक निदेशक/5400	01	–	
2.	विषय विशेषज्ञ/4200	03	–	
3.	प्रशिक्षक/4200	02	01	
4.	अनुदेशक/2400	01	–	
5.	ज्येष्ठ सहायक/लेखाकार/2800	01	01	
6.	आशुलिपिक/2400	01	01	
7.	कनिष्ठ आलेखक–प्रालेखक/2400	01	–	
8.	पुस्तकालयाध्यक्ष/2400	01	–	
9.	सिनेमा ऑपरेटर/2400	01	–	
10.	कनिष्ठ सहायक/1900	02	01	
11.	जीप चालक/1900	01	01	
12.	इलैक्ट्रीशियन कम ट्यूबवैल ऑपरेटर/1900	01	–	
13.	अनुसेवक/1800	01	01	
14.	अर्दली/1800	01	01	
15.	चौकीदार/1800	01	–	
16.	कहार/1800	01	–	
17.	रसोईया/1800	01	01	
18.	रसोइया सहायक/1800	01	–	
19.	छात्रावास अटैन्डेन्ट/1800	01	01	
20.	पुस्तकालय अटैन्डेन्ट/1800	01	01	
21.	ट्रेनिंग अटैन्डेन्ट/1800	01	01	
22.	स्वच्छक/1800	01	01	
23.	माली/1800	01	–	
24.	गनमैन	01	–	
	योग	**28**	**12**	

संस्थान में निदेशक एवं संयुक्त निदेशक के क्रमशः 01–01 पद भी पदेन आधार पर सृजित हैं।

राज्य में 10 गन्ना विकास परिषद भी हैं जिनमें 61 पद स्वीकृत एवं 29 कार्यरत हैं। जनपद उधमसिंहनगर में 06 गन्ना विकास परिषद क्रमशः नादेही, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा एवं सितारगंज हैं। जनपद हरिद्वार में तीन गन्ना विकास परिषद क्रमशः लक्सर, इकबालपुर व लिब्बरहेड़ी में हैं जबकि जनपद देहरादून में गन्ना विकास परिषद डोईवाला है।

परिषद में क्रमशः लिपिक, मैकेनिक, सिनेमा ऑपरेटर, जीप चालक, रोलर चालक, चपरासी व चौकीदार के नाम से पद हैं जिनके सापेक्ष अलग–अलग परिषद में इन पदनामों के कतिपय पद अथवा सभी पद (बाजपुर में) सृजित हैं तथा उनकी संख्या भी समान नहीं है।

राज्य में 14 सहकारी गन्ना विकास समितियां भी हैं जिनमें 10 पदनाम, क्रमशः विशेष सचिव, सचिव प्रथम ग्रेड, सहायक सचिव, लेखाकार, सहायक लेखाकार, लिपिक, वाहन चालक, चपरासी, स्टोर मेट, कम्प्यूटर सुपरवाईजर व डाटा ऑपरेटर, स्थाई व 02 पदनाम क्रमशः सामयिक लिपिक व साामयिक पर्ची वितरक अस्थाई हैं। इन विभिन्न पदों के सापेक्ष कुल 857 पद स्वीकृत, 424 कार्यरत व 433 रिक्त हैं। स्थाई पद कुल 285 स्वीकृत, 145 कार्यरत तथा 140 रिक्त है जबकि सामयिक अथाई पद कुल 572 सृजित, 279 कार्यरत व 293 रिक्त बताए गये हैं। इन समितियों का व्यय भार (वेतन सहित) गन्ना क्रय मूल्य के सापेक्ष कुछ प्रतिशत राशि समिति को जो प्राप्त होती है उससे वहन किया जाता है।

यहां यह अवलोकनीय है कि राज्य में कुल आठ चीनी मिल हैं जिनमें सहकारी क्षेत्र की 03, सरकारी क्षेत्र की 02 तथा निजी क्षेत्र में 03 मिले हैं। केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष गन्ना का एफ0आर0पी0 नियत किया जाता है जबकि राज्य सरकार एफ0आर0पी0 से कहीं उच्च गन्ना क्रय मूल्य (राज्य परामर्शित मूल्य) नियत करती रही है। फलतः राज्य सरकार सहकारी व सरकारी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य बकाया का किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऋण देती रही है। इन चीनी मिलों को वर्ष 2016–17 तक लगभग रू0 852.29 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है जिसकी वापसी की स्थिति अब तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है और ब्याज सहित लगभग 1557 करोड़ की देनदारी इन चीनी मिलों पर इस सम्बन्ध में है। वर्ष 2014–15 से निजी चीनी मिलों को भी राज्य सरकार द्वारा गन्ना क्रय मूल्य के सापेक्ष कुल रू0 87.46 करोड़ की सहायता/अनुदान दिया है (सहकारी व सरकारी चीनी मिलों सहित राज्य द्वारा दी गई कुल सहायता लगभग रू0 166.66 करोड़)। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा गन्ना क्रय के सापेक्ष गन्ना समितियों के कमीशन की लगभग रू0 19.58 करोड़ की छूट दी है तो गन्ना क्रय कर की छूट व वापसी लगभग रू0 10.07 करोड़ तथा चीनी प्रवेश कर में लगभग रू0 7.94 करोड़ की छूट भी दी है। उल्लेखनीय है कि अन्य फसलों के सम्बन्ध में कदाचित ऐसी व्यवस्था नहीं रहती।

प्राप्त सूचनाओं व संज्ञान में आई स्थितियों के दृष्टिगत निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं :–

1. अन्य फसलों के सापेक्ष राज्य में गन्ना के सम्बन्ध में विशिष्ट व्यवस्था व नीति अपनाई जा रही है, उचित होगा कि राज्य सरकार गन्ना के सम्बन्ध में भी लगभग समान व्यवस्था/नीति अनाये जाने पर विचार करे।

2. राज्य के गन्ना व चीनी सम्बन्धी लागू अधिनियमों के स्थान पर संशोधन से अथवा निरसन से नये अधिनियम बनाने/लागू करने पर विचार किया जाय जिसमें गन्ना विकास परिषद की व्यवस्था तथा गन्ना समितियों की व्यवस्था को समाप्त किया जाय एवं सम्बन्धित चीनी मिल द्वारा ही गन्ना की फसल के उत्पादन/प्रबन्धन, क्रय व मूल्य भुगतान की सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने की व्यवस्था हो। जहां तक दवा, खाद, बीज आदि की उपलब्धता/विक्रय की व्यवस्था का प्रश्न है उसे कृषि निवेश भण्डार के माध्यम अथवा कृषकों की सहकारी समिति के माध्यम कराया जाना चाहिए जिस हेतु वर्तमान गन्ना समिति गन्ना पर्ची बांटने तथा गन्ना भुगतान करने के स्थान पर उक्त इनपुट उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्य तथा फसली ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्य तक ही सीमित रहे। गन्ना शोध एवं प्रशिक्षण का कार्य चीनी मिल, विश्वविद्यालयों एवं अन्य गन्ना शोध संस्थाओं के माध्यम से कराया जाना चाहिए। तदानुसार गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र, काशीपुर को बनाए रखने पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

3. गन्ना विभाग को कृषि विभाग की ही एक शाखा के रूप में रखा जा सकता है जिसमें संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में गन्ना सम्बन्धी सभी कार्य किये जा सकते हैं। संयुक्त निदेशक को ही अतिरिक्त रूप से गन्ना आयुक्त भी पदाभिहित किया जा सकता है अथवा मंडल आयुक्त को चीनी मिलों का गन्ना क्षेत्र आवंटन/निर्धारण आदि कार्य सहित संबंधित जिलाधिकारियों/मंडल आयुक्त को गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित के लिए प्राधिकृत करते हुए उन्हें यथोचित शक्तियां प्रदान करने की व्यवस्था नये अधिनियम में की जा सकती है।

5. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा चीनी को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है, अतः चीनी आयुक्त व उसके अधीनस्थ अन्य कतिपय पदों की आवश्यकता व औचित्य अब कदाचित नहीं है। तदानुसार इन्हें समाप्त किया जा सकता है।

6. गन्ना की बुआई, बुआई हेतु वैरायटी व उसका बुआई क्षेत्र निर्धारण, पर्यवेक्षण, पर्ची वितरण, परिवहन, भुगतान आदि सम्पूर्ण प्रक्रिया चीनी मिलों को अपने अपने गन्ना आवंटन क्षेत्र के लिए दे दिये जाने के फलस्वरूप गन्ना फसल के निरीक्षण, पर्यवेक्षण आदि सभी कार्य सम्बन्धित चीनी मिलों द्वारा ही किया जाना चाहिए और तदानुसार गन्ना विभाग के अधिकांश पद (यथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक आदि) बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी जिन्हें तदानुसार समाप्त किया जा सकता है। मात्र सांख्यकीय सूचनाओं तथा गन्ना/चीनी उत्पादन के अनुमान लगाने सम्बन्धी कार्य ही किये जाने होंगे जिस हेतु कृषि विभाग में गन्ना शाखा

अंतर्गत प्रदेश व जनपद स्तरीय अति आवश्यक न्यूनतम पद रखे जाने चाहिए तथा गन्ना मूल्य भुगतान हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी/आयुक्त आदि को सूचनाएं व पत्रावलियां प्रस्तुत करने व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादन हेतु न्यूनतम अति आवश्यक पद रखे जाने चाहिए।

7. सहकारी क्षेत्र की तीनों चीनी मिलों में गन्ना किसानों की अंशधारिता अति न्यून है जिस कारण यह केवल नाम हेतु सहकारी चीनी मिल हैं जबकि अधिकांश अंशधारिता राज्य सरकार की होने के कारण यह एक प्रकार से सरकारी चीनी मिल के रूप में ही हैं। अतः उचित होगा कि या तो सरकार इन मिलों से अपनी अंशधारिता पूर्णतः समाप्त कर गन्ना किसानों की पूर्ण अंशधारिता में इन मिलों को यथाशीघ्र परिवर्तित करें अथवा फिर सम्पूर्ण अंशधारिता ग्रहण कर इन्हें सरकारी चीनी मिल के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए। साथ ही एक सुनियोजित रोड मैप बनाकर सभी सहकारी/सरकारी चीनी मिलों को निजी क्षेत्र की मिल के रूप में परिवर्तन हेतु विनिवेश की कार्यवाही की जाय और जो चीनी मिलें अब वित्तीय रूप से सुदृढ़ होना सम्भावित नहीं हो उसे बंद करने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

8. चीनी उद्योग सम्बन्धी कार्य अन्य उद्योगों की तरह उद्योग विभाग द्वारा ही अन्य उद्योगों की तरह व्यवहृत किया जा सकता है।

(37) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में कुल स्वीकृत पद 3550 बताए गये हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

वर्ग/श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
क	28	15	13
ख	76	41	35
ग	1306	730	576
घ	2140	1552	588
योग	**3550**	**2338**	**1212**

विभाग अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं होना बताया गया है:–

1) विकास शाखा
2) सांख्यकीय एवं नियोजन
3) खाद्य प्रसंस्करण
4) प्रयोग एवं प्रशिक्षण
   क) उद्यान विकास
   ख) रसायन विज्ञान

ग) कीट एवं पादप प्रशिक्षण

घ) मशरूम

ड.) वनस्पति विज्ञान

उक्त के अतिरिक्त लेखा संवर्ग, लिपिक संवर्ग (मिनिस्टीरियल संवर्ग), वैयक्तिक सहायक संवर्ग, चालक संवर्ग व चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पद भी हैं।

शाखा व संवर्गवार पदों की स्थिति निम्नानुसार सूचित की गई है:–

शाखा/संवर्ग	समूह 'क' पद			समूह 'ख' पद			समूह 'ग' पद		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
विकास शाखा	10	06	04	40	29	11			
सांख्यकीय एवं नियोजन	01	01	–	02	01	01	16	01	15
खाद्य प्रसंस्करण	01	–	01	06	02	04	115	63	52
उद्यान विकास	01	01	–	03	01	02	785	433	352
रसायन विज्ञान	02	01	01	03	01	02			
कीट एवं पादप प्रशिक्षण	01	01	–	06	01	05	32	12	20
मशरूम	02	–	02	03	–	03	15	02	13
वनस्पति विज्ञान	02	01	01	08	04	04			
प्रयोग एवं प्रशिक्षण							53	13	40
तकनीकी शाखा							07	01	06
विविध संवर्ग							03	02	01

समूह 'घ' के माली के पद विकास शाखा में 1720 व शोध शाखा में 24 पद कुल 1744 पद हैं जिसके सापेक्ष 1243 पद भरे व 501 पद रिक्त बताये गये हैं। कार्यरत पदों में 771 विभागीय व 472 उपनल के माध्यम से नियोजित बताए गये हैं।

निम्नलिखित संवर्गों में भी पदों की स्थिति इस प्रकार सूचित है:–

शाखा/संवर्ग	समूह 'क' पद			समूह 'ख' पद			समूह 'ग' पद		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
लेखा संवर्ग	01	–	01	05	02	03	45	06	39
वैयक्तिक सहायक संवर्ग							17	03	14
मिनिस्टीरियल संवर्ग							173	171	02
चालक संवर्ग							45	23	22

माली के अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों की स्थिति शाखावार निम्नानुसार बताई गई है:–

शाखा	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
विकास शाखा	227	346	50
खाद्य प्रसंस्करण	104		

शाखा	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
प्रयोग एवं प्रशिक्षण	24		
कीट एवं पौध परीक्षण	25		
मशरूम विकास	14		
विविध संवर्ग	02		
योग	**396**	**346**	**50**

मिनिस्टीरियल, लेखा व वैयक्तिक सहायक संवर्ग के अतिरिक्त विभिन्न शाखाओं में समूह ग के पद क्रमशः वर्ग–1, वर्ग–2 एवं वर्ग–3 के हैं। इनका विवरण शाखावार निम्नवत् बताया गया है:–

शाखा/संवर्ग	वर्ग–1			वर्ग–2			वर्ग–3		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
खाद्य प्रसंस्करण	30	30	–	27	12	15	58	21	37
उद्यान विकास	115	85	30	330	160	170	340	188	152
प्रयोग एवं प्रशिक्षण	17	04	13	07	03	04	13	03	10
मशरूम शाखा	05	02	03	05	–	05	05	–	05
सांख्यकीय एवं नियोजन	03	01	02	13	–	13	–	–	–
तकनीकी शाखा	04	–	04	03	01	02	–	–	–
विविधि संवर्ग	01	–	01	–	–	–	02	02	–
योग	**175**	**122**	**53**	**385**	**176**	**209**	**418**	**214**	**204**

विभाग के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन उपरान्त पदनामवार सूचना निम्नवत् सूचित हुई है:–

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	निदेशक	8900	1	
2.	अपर निदेशक	8700	2	
3.	संयुक्त निदेशक	7600	4	
4.	उप निदेशक (स्थापना) उप निदेशक (नियोजन)	6600	2	
5.	मुख्य उद्यान अधिकारी श्रेणी–1	6600	8	
6.	जिला उद्यान अधिकारी	5400	5	
7.	आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी (जनपदों हेतु)	5400	8	
8.	पौधशाला विकास अधिकारी	5400	8	
9.	सहायक निदेशक	5400	3	
10.	उद्यान अधीक्षक (चौबटिया, रामगढ़, दूनगिरी)	5400	3	
11.	उद्यान विशेषज्ञ (कोटद्वार, देहरादून)	5400	2	

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
12.	प्रसार सेवा अधिकारी निदेशालय	5400	1	
13.	सब्जी विशेषज्ञ निदेशालय	5400	1	
14.	उद्यान अधिकारी (मसाला) निदेशालय	5400	1	
15.	कनिष्ठ पुष्प विज्ञानी निदेशालय	5400	1	
16.	विपणन अधिकारी (निदेशालय)	5400	2	
17.	उद्यान अधिकारी (केन्द्रीय योजना नियोजन) केन्द्र पोषित योजनाओं के अनुश्रवण हेतु	5400	1	
18.	आलू बीज अधिकारी नियोजन	5400	1	
19.	प्रसार सेवा अधिकारी नैनीताल	5400	1	
20.	प्रसार औद्यानिकी निदेशालय	5400	1	
21.	उद्यान अधिकारी (केन्द्रीय योजना नियोजन) केंद्र पोषित योजनाओं के नियोजन हेतु	5400	1	
	उद्यान शाखा			
22.	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक (वर्ग–1)	4600	115	
23.	उद्यान निरीक्षक (वर्ग–2)	2800	330	
24.	उद्यान पर्यवेक्षक (वर्ग–3)	2400	340	
25.	माली	1800	1744	
26.	चतुर्थ श्रेणी	1800	227	
	खाद्य प्रसंस्करण शाखा			
27.	उप निदेशक (खाद्य संरक्षण)	6600	1	
28.	खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी	5400	4	
29.	प्रधानाचार्य खाद्य वि0 प्रशिक्षण	5400	2	
30.	निरीक्षक वर्ग–1 निदेशालय (मु0)	4600	1	
31.	निरीक्षक वर्ग–1 खाद्य प्रसंस्करण	4600	20	
32.	निरीक्षक वर्ग–1 खा0प्र0अ0 (मुख्यालय) अपर खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी	4600	6	
33.	निरीक्षक वर्ग–1 खा0वि0प्र0के0 रामनगर एवं कोटद्वार प्रशिक्षक कुकरी/वेकरी कैनिंग	4600	3	
34.	खाद्य प्रसंस्करण के0 सहायक खाद्य निरीक्षक वर्ग–2	2800	15	
35.	खा0प्र0के0 रामनगर/कोटद्वार प्रशिक्षक कुकरी/वेकरी/कैनिंग प्रशिक्षक रेस्टोरेन्ट, होटल मैनेजमेंट	2800	12	

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
	रिसेप्शन वर्ग–2			
36.	खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र, पर्यवेक्षक वर्ग–3	2400	47	
37.	खा0प्र0अ0 (मु0) पर्यवेक्षक वर्ग–3	2400	02	
38.	खा0वि0प्र0के0 रामनगर, कोटद्वार–पर्यवेक्षक वर्ग–3	2400	9	
39.	खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र कामदार वर्ग–3	आउटसोर्स	98	
40.	खाद्य प्र0के0 रामनगर/कोटद्वार (कामदार)	आउटसोर्स	6	
	प्रयोग एवं प्रशिक्षण शाखा श्रेणी–1			
41.	उपनिदेशक उद्यान विभाग	6600	1	
42.	उपनिदेशक वनस्पति विज्ञान अनु0	6600	2	
43.	उपनिदेशक रसायन विज्ञान अनु0	6600	2	
44.	सहायक निदेशक, उद्यान विभाग	5400	3	
45.	वनस्पति विज्ञान अनु0/पुष्प विज्ञान अनु0	5400	8	
46.	रसायन वि0अनु0/मृदा परीक्षण अनु0	5400	3	
47.	वर्ग–1 (समस्त अनुभाग)	4600	16	
48.	वर्ग–1 (ग्वालदम, चमोली)	4600	1	
49.	वर्ग–2 (समस्त अनुभाग)	2800	18	
50.	वर्ग–3 (समस्त अनुभाग)	2400	18	
51.	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग (आउटसोर्स)	1800	24	
	कीट एवं पौध परीक्षण शाखा			
52.	वरिष्ठ कीट विद	5400	1	
53.	प्रदेशीय मौन विशेषज्ञ	5400	2	
54.	पौध रक्षा अधिकारी	5400	2	
55.	कीट विद	5400	2	
56.	अपर पौध सुरक्षा अधिकारी (नि0/म0) वर्ग–1	4600	8	
57.	वरिष्ठ कीट प्रशिक्षक (प्रशि0) वर्ग–1	4600	2	
58.	प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान (मु0) वर्ग–1	4600	1	
59.	प्रवक्ता कीट विज्ञान (मु0) वर्ग–1	4600	1	
60.	सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी	2800	3	

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
	वर्ग–2			
61.	मधु विकास निरीक्षक वर्ग–2	2800	4	
62.	सहायक मधु विकास निरीक्षक / पर्यवेक्षक / प्रयोगशाला सहायक / एपियरी कीपर वर्ग–3	2000	13	
	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग			
63.	1–चतुर्थ श्रेणी–(मु0) 2–चतुर्थ श्रेणी–(फील्ड) 3–उद्यान सहायक	1800	25	
	मशरूम विकास शाखा			
64.	मुख्य मशरूम विकास अधिकारी	6600	2	
65.	मुख्य मशरूम विकास अधिकारी	5400	3	
66.	अपर मशरूम विकास अधिकारी वर्ग–1	4600	5	
67.	सहायक मशरूम विकास अधिकारी वर्ग–2	2800	5	
68.	मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग–3	2400	5	
69.	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग परिचर / स्वच्छक / चौकीदार / अनुसेवक	1800	14	
	सांख्यिकी एवं नियोजन शाखा			
70.	उपनिदेशक (सांख्यिकी)	6600	1	
71.	सांख्यिकी अधिकारी	5400	2	
72.	अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1	4600	3	
73.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2	2800	3	
	तकनीकी शाखा			
74.	सहायक प्रोग्रामर (वर्ग–1)	4600	1	
75.	अवर अभियन्ता (कृषि अभियन्ता) वर्ग–1	4600	2	
76.	विद्युत यांत्रिक सहायक (वर्ग–2) निदेशालय	आउटसोर्स	1	
77.	फोरमैन वर्ग–1	आउटसोर्स	1	
78.	फोरमैन वर्ग–2	आउटसोर्स	1	
79.	मैकेनिक वर्ग–2	आउटसोर्स	1	
	लेखा संवर्ग			
80.	वरिष्ठ वित्त अधिकारी	6600	1	
81.	वित्त अधिकारी	5400	2	
82.	सहायक लेखाधिकारी	4800	3	

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
83.	लेखाकार	4200	15	
84.	सहायक लेखाकार	2800	30	
	मिनिस्टीरियल संवर्ग			
85.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	5400	4	
86.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	4800	17	
87.	प्रशासनिक अधिकारी	4600	17	
88.	प्रधान सहायक	4200	31	
89.	वरिष्ठ सहायक	2800	47	
90.	कनिष्ठ सहायक	2000	55	
91.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2000	2	
92.	वैयक्तिक संवर्ग			
93.	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	5400	1	
94.	वैयक्तिक अधिकारी	4600	3	
95.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	4200	6	
96.	वैयक्तिक सहायक	2800	7	
	विविध संवर्ग के कार्मिकों का सार			
97.	नायब तहसीलदार वर्ग–1	4600	1	
98.	कारपेन्टर वर्ग–3	2000	2	
99.	सर्वे अमीन	1800	2	
	वाहन चालक संवर्ग के कार्मिकों का सार			
100.	वाहन चालक	1900	41	
101.	ट्रैक्टर चालक	1900	4	
		कुल योग	**3550**	

पदनामवार प्राप्त पदों की सूचना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	निदेशक	8900	01	
2.	अपर निदेशक	8700	02	
3.	संयुक्त निदेशक	7600	04	
4.	उप निदेशक व समकक्ष	6600	19	स्थापना, नियोजन हेतु 02 उप निदेशक एवं 08 मुख्य उद्यान अधिकारी, उपनिदेशक खाद्य संरक्षण– 01, उप निदेशक उद्यान–01, उप निदेशक वनस्पति विज्ञान–02, उपनिदेशक रसायन विज्ञान–02, मुख्य मशरूम विकास अधिकारी–02, उपनिदेशक सांख्यकीय–01
5.	जिला उद्यान	5400	72	जिला उद्यान अधिकारी–05, आलू एवं शाक भाजी

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
	अधिकारी एवं समकक्ष			विकास अधिकारी–08, सहायक निदेशक–03, उद्यान अधीक्षक–03 (चौबटिया, रामगढ़, दूनगिरी, उद्यान विशेषज्ञ–02 (कोटद्वार, देहरादून), प्रसार सेवा अधिकारी (निदेशालय)–01, सब्जी विशेषज्ञ (निदेशालय)–01, उद्यान अधिकारी मसाला (निदेशालय)–01, कनिष्ठ पुष्प विज्ञानी (निदेशालय)–01, विपणन अधिकारी (निदेशालय)–02, उद्यान अधिकारी केन्द्रीय योजना अनुश्रवण–01, आलू बीज अधिकारी नियोजन–01, प्रसार सेवा अधिकारी नैनीताल–01, प्रसार निदेशालय–01, उद्यान अधिकारी केन्द्रीय योजना नियोजन–01, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी–04, प्रधानाचार्य खाद्य वि0 प्रशिक्षण–02, सहायक निदेशक उद्यान–03, वनस्पति विज्ञान/पुष्प विज्ञान–08, रसायन विज्ञान/मृदा परीक्षण–03, वरिष्ठ कीट विद–01, प्रदेशीय मौन विशेषज्ञ–02, पौध रक्षा अधिकारी–02, कीट विद–02, मुख्य मशरूम विकास अधिकारी–03, सांख्यकीय अधिकारी–02
6.	वर्ग–1	4600	185	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक (उद्यान शाखा)–115, निरीक्षक (खाद्य प्रसंस्करण शाखा) निदे0–01, निरीक्षक खाद्य प्रसंस्करण–20, निरीक्षक/अपर खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी–06 (मुख्यालय), निरीक्षक खा0वि0प्र0के0 रामनगर/कोटद्वार–03, प्रयोग एवं प्रशिक्षण शाखा (अनुभाग/ग्वालदम)–17, अपर पौध सुरक्षा अधिकारी–08, वरिष्ठ कीट प्रशिक्षक–02, प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान–01, प्रवक्ता कीट विज्ञान–01, अपर मशरूम विकास अधिकारी–05, अपर सांख्यकीय अधिकारी–03, अवर अभियन्ता (कृषि अभियन्ता)–02, सहायक प्रोग्रामर–01
7.	वर्ग–2	2800	400	उद्यान निरीक्षक–330, खाद्य प्र0के0 सहायक/खाद्य निरीक्षक–15 खा0प्र0के0 रामनगर/कोटद्वार–12, प्रयोग एवं प्रशिक्षण (समस्त अनुभाग)–18, सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी–03, मधु विकास निरीक्षक–04, सहायक मशरूम विकास अधिकारी–05, सहायक सांख्यकीय अधिकारी–13
8.	वर्ग–3	2400	434	उद्यान पर्यवेक्षक–340, खाद्य प्र0केंद्र पर्यवेक्षक–47, खाद्य प्र0 केन्द्र पर्यवेक्षक (मु0)–02, खा0वि0प्र0के0

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
				रामनगर/कोटद्वार पर्यवेक्षक–09, प्रयोग एवं प्रशिक्षण (समस्त अनुभाग)–18, सहायक मधु विकास निरीक्षक आदि – 13, मशरूम पर्यवेक्षक–05

सांख्यकीय एवं नियोजन शाखा अंतर्गत उप निदेशक सांख्यकीय (ग्रेड वेतन 6600) का 01 पद, सांख्यकीय अधिकारी (ग्रेड वेतन 5400) के 02 पद, अपर सांख्यकीय अधिकारी (वर्ग–1 ग्रेड वेतन 4600) के 03 पद एवं सहायक सांख्यकीय अधिकारी (वर्ग–2 ग्रेड वेतन 2800) के 13 पद बताए गये हैं। लेखा संवर्ग में वरिष्ठ वित्त अधिकारी (ग्रेड वेतन 6600) का 01 पद, वित्त अधिकारी (ग्रेड वेतन 5400) के 02 पद, सहायक लेखाधिकारी (ग्रेड वेतन 4800) के 03 पद, लेखाकार (ग्रेड वेतन 4200) के 15 पद तथा सहायक लेखाकार, (ग्रेड वेतन 2800) के 30 पद होना बताया है। मिनिस्टीरियल संवर्ग में कुल 171 पद हैं जिसमें मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड वेतन 5400) के 04 पद, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड वेतन 4800) के 17 पद, प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड वेतन 4600) के 17 पद, प्रधान सहायक (ग्रेड वेतन 4200) के 31 पद, वरिष्ठ सहायक (ग्रेड वेतन 2800) के 47 पद तथा कनिष्ठ लिपिक (ग्रेड वेतन 2000) के 55 पद बताए गये हैं। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर के भी 02 पद बताए गये हैं। वैयक्तिक सहायक संवर्ग में मुख्य वैयक्तिक अधिकारी (ग्रेड वेतन 5400) का 01 पद, वैयक्तिक अधिकारी (ग्रेड वेतन 4600) के 03 पद, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (ग्रेड वेतन 4200) के 06 पद एवं वैयक्तिक सहायक (ग्रेड वेतन 2800) के 07 पद हैं।

उद्यान विभाग का वर्ष 2015–16 का वेतन सम्बन्धी व्यय भार लगभग रू0 98 करोड़ रहा है। सभी पद भरे होने की दशा में कुल वेतन व्यय भार लगभग रू0 149 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन में लगभग रू0 171.35 करोड़ होता है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016–17 में उद्यान विभाग का योजनागत व्यय (अर्थात कार्यों में व्यय लगभग रू0 118.30 करोड़ है जिसमें केन्द्र पोषित योजना का व्यय लगभग रू0 65.64 करोड़ है। इस प्रकार कार्य के सापेक्ष विभाग का वेतन सम्बन्धी व्यय अधिक है।

यह मौखिक जानकारी मिली है कि उद्यान विकास शाखा अंतर्गत 319 मोबाईल टीम हैं जिनमें समूह–2 के कर्मचारी प्रभारी हैं तथा पर्यवेक्षक समूह–3 के कर्मी हैं। प्राप्त सूचनाओं के क्रम में निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं:–

1. शासन स्तर पर कृषि एवं उद्यान विभागों के एकीकरण के विषय में विचार करने के समाचार विगत समय समाचार पत्रों में आते रहे हैं। कृषि, उद्यान, रेशम, जड़ी–बूटी/सगन्ध पौध, गन्ना आदि सम्बन्धी सभी क्रियाकलाप कृषि भूमि से तथा

फसलों के कृषिकरण से मुख्यतः सम्बन्धित हैं। अतः इनके सम्बन्ध में नीति निर्धारण व योजनाओं का गठन तथा क्रियान्वयन आदि गतिविधियों को समन्वित रूप से व्यवहरित किया जाना उचित होगा। अतः प्रमुख सचिव अथवा अपर मुख्य सचिव स्तरीय भा0प्र0 सेवा संवर्ग के एक कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीन इन विषयों सहित पशुपालन, डेरी विकास, मत्स्य विकास, सहकारिता व गन्ना विकास विषयक विभागों/ईकाईयों/शाखाओं को एक समूह के रूप में संचालित किया जा सकता है। कृषि उत्पादन आयुक्त का पद तदानुसार रखा जाना चाहिए जिसमें उनके सचिवालय के रूप में कतिपय पदों को रखते हुए 05–06 कार्मिकों का स्टाफ रखा जा सकता है। कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीन कृषि तथा उद्यान के लिए सचिव स्तरीय 01 पद निदेशक का भा0प्र0 सेवा संवर्ग में सृजित किया जाय जिसके अधीन कृषि व उद्यान के 01–01 पद अपर निदेशक का रहे तथा कृषि विभाग के अपर निदेशक के अधीन कृषि के संयुक्त निदेशक व अन्य पदों सहित गन्ना विषय के लिए एक संयुक्त निदेशक स्तर का पद रखा जा सकता है जिसके अधीन गन्ना विषय हेतु अन्य संस्तुत पद व व्यवस्थाएं रखी जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में गन्ना विभाग के सम्बन्ध में किये गये अध्ययन व संस्तुतियां अन्यत्र दी गई हैं।

रेशम तथा भेषज/जड़ी–बूटी/सगन्ध पौध सम्बन्धी विषय हेतु भी संयुक्त निदेशक स्तर का पद उद्यान विषय हेतु उपरोक्त संस्तुत अपर निदेशक के अधीन रखा जा सकता है। शेष संस्तुतियां सम्बन्धित विषयों पर अन्यत्र दी गई है जिसके अनुसार कार्यवाही करने पर विचार किया जा सकता है।

उक्तानुसार संस्तुति के क्रम में एकीकरण की स्थिति में प्रत्येक विषय से सम्बन्धित कार्मिकों की वर्तमान वरीयता सूची व प्रोन्नति व्यवस्था समान्यतया पूर्ववत रखे जा सकते हैं क्योंकि केवल निदेशक एवं यथास्थिति अन्य उच्चतम कतिपय पद ही समाप्त होंगे एवं विभिन्न स्तरों में पदों की संख्या ही परिवर्तित होगी।

2. अपर निदेशक का 01 ही पद रखा जाय अर्थात 01 पद समाप्त किया जा सकता है। कृषि एवं उद्यान विभाग के एकीकरण की स्थिति में निदेशक उद्यान का पद समाप्त किया जाना होगा एवं अपर निदेशक ही इस शाखा का प्रभारी होगा। साथ ही मुख्य उद्यान अधिकारी के पद भी समाप्त किये जा सकते हैं और इनसे सम्बन्धित कार्य जनपद में जिला उद्यान अधिकारी द्वारा देखे जा सकते है जिस हेतु प्रत्येक जनपद हेतु जिला उद्यान अधिकारी का पद रखा जा सकता है।

3. उप निदेशक व समकक्ष स्तर पर स्थापना एवं नियोजन के लिए 02 पद रखने की आवश्यकता नहीं है। सम्बन्धित कार्य सीधे संयुक्त निदेशक स्तर पर देखा जा सकता है जिस हेतु तदानुसार कार्य आवंटित किया जाना चाहिए।

4. जिला उद्यान अधिकारी व समकक्ष स्तर पर निदेशालय/मुख्यालय में प्रसार सेवा अधिकारी, सब्जी विशेषज्ञ, उद्यान अधिकारी (मसाला), कनिष्ठ पुष्प विज्ञानी, विपणन अधिकारी, उद्यान अधिकारी केन्द्र पोषित योजना अनुश्रवण, उद्यान अधिकारी केन्द्र पोषित योजना नियोजन, प्रसार सेवा अधिकारी नैनीताल, प्रसार औद्यानिकी निदेशालय के कुल 11 पद समाप्त किये जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर पर एवं शाखाओं में इस हेतु पदों की व्यवस्था है ही तथा निदेशालय में सम्बन्धित उप निदेशक व संयुक्त निदेशक के स्तर पर कार्य देखा जा सकता है।

5. उद्यान शाखा में मोबाइल टीम हेतु वर्ग–3 के कर्मचारी को प्रभारी बनाया जा सकता है तथा वर्ग–2 के कर्मचारी प्रत्येक विकासखण्ड में 01 पद आधार पर रखे जा सकते हैं। तदानुसार वर्ग–3 के लगभग 330–340 पद व वर्ग–2 के लगभग 100–110 पद रखे जा सकते हैं। वर्ग–1 में प्रति 02 विकासखण्ड हेतु 01 पद की दर से लगभग 50–60 पद रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

6. खाद्य प्रसंस्करण शाखा में मुख्यालय पर खा0प्र0अ0 तथा अपर खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी (ग्रेड वेतन 4600) के सभी पदों को समाप्त किया जा सकता है क्योंकि निदेशालय में 4600 ग्रेड वेतन पर निरीक्षक पद है एवं खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी व उप निदेशक के पद भी हैं। वर्ग–3 में मुख्यालय में पर्यवेक्षक के दोनों पद समाप्त किये जा सकते हैं एवं खाद्य प्रशिक्षण केन्द्रों में भी पदों की संख्या 30 की जा सकती है।

7. खाद्य प्रसंस्करण गतिविधि उत्तराखण्ड के परिदृश्य में महत्वपूर्ण है। यह गतिविधि यहां सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर उद्योग की तरह स्थापित व पल्लवित हो सकती है। अतः खाद्य प्रसंस्करण सम्बन्धी कार्य पूर्णतः उद्योग विभाग के अंतर्गत स्थानान्तरित किया जा सकता है जहां स्किल विकास मिशन आदि अन्तर्गत प्रशिक्षण व तदोपरान्त उद्यम स्थापना की व्यवस्था की जानी चाहिए।

8. प्रयोग एवं प्रशिक्षण शाखा में उप निदेशक वनस्पति, व रसायन के 02–02 पद के स्थान पर 01–01 पद रखा जा सकता है। साथ ही ग्रेड वेतन 5400 में वनस्पति विज्ञान अनु0/पुष्प विज्ञान अनु0 के 08 के स्थान पर 04 पद रखे जा सकते हैं। वर्ग–1 में कुल पद 16 के स्थान पर 04–05, वर्ग–2 में 08–10 एवं वर्ग–3 में 16–18 पद रखने पर विचार किया जा सकता है।

9. कीट एवं पौध परीक्षण शाखा में वरिष्ठ कीट विद व कीट विद 5400 ग्रेड वेतन में ही हैं अतः वरिष्ठ कीट विद का पद समाप्त किया जा सकता है। अपर पौध सुरक्षा अधिकारी (ग्रेड वेतन 4600) वर्ग–1 के 08 पद तथा सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी (ग्रेड वेतन 2800) वर्ग–2 के 03 पद हैं अतः अपर पौध सुरक्षा अधिकारी के पदों की संख्या 02 करने पर विचार किया जा सकता है।

10. मशरूम विकास में मुख्य मशरूम विकास अधिकारी (ग्रेड वेतन 6600) के 02 पद तथा मुख्य मशरूम विकास अधिकारी (ग्रेड वेतन 5400) के 03 पद हैं। अतः ग्रेड वेतन 6600 के दोनों पद समाप्त किये जाने चाहिए और ग्रेड वेतन 5400 में 01 ही पद रखा जा सकता है। अपर मशरूम विकास अधिकारी (ग्रेड वेतन 4600), सहायक मशरूम विकास अधिकारी (ग्रेड वेतन 2400) के 05–05 पद प्रत्येक के हैं। यह स्थिति उचित नहीं है। अतः मशरूम पर्यवेक्षक के 05, सहायक मशरूम विकास अधिकारी के 03 व अपर मशरूम विकास अधिकारी के 02 पद रखने पर विचार किया जा सकता है।

11. सहायक प्रोग्रामर (ग्रेड वेतन 4600) का एकमात्र पद समाप्त किया जा सकता है तथा सेवाएं आउटसोर्स से ली जा सकती हैं।

12. लेखा संवर्ग में वरिष्ठ वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी के कुल 06 पद तथा लेखाकार के 15 व सहायक लेखाकार के 30 पद है। वित्त अधिकारी अथवा वरिष्ठ वित्त अधिकारी में से एक ही पद रखा जाय जिसकी संख्या 01 होगी। सहायक लेखाधिकारी का भी 01 ही पद रहे।

13. लिपिक व वैयक्तिक सहायक संवर्गों में स्टाफिंग पैटर्न लागू रखने पर पुनर्विचार किया जाय तथा पदों की संख्या न्यूनतम वास्तविक आवश्यकतानुसार सीमित की जाय। साथ ही कम्प्यूटर ऑपरेटर के दोनों पर समाप्त किये जायें।

14. माली के कुल 1744 पद हैं जिसमें 1243 कार्यरत (उपनल से 472 सहित), मोबाइल टीम 319 होना कहा है अतः प्रति टीम 02 माली अनुसार कुल लगभग 640–650 पद माली के रखे जा सकते हैं।

यह अवलोकनीय है कि अक्टूबर, 2012 में उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन परिषद का गठन किया गया है एवं कार्य संचालन हेतु 11 पद सृजित किये गये परन्तु वास्तविकता में यह अस्तित्व में नहीं आ सका। कालान्तर में यह विचाराधीन है कि परिषद के स्थान पर हिमाचल प्रदेश की भांति औद्यानिक विकास एवं विपणन निगम बनाया जाय। यदि ऐसा वास्तव में विचार किया जाता है तो कदाचित उद्यान विभाग के विकास सम्बन्धी पदों को समाप्त कर नये निगम में यथोचित व्यवस्था करनी होगी। उत्तराखण्ड मण्डी समितियों के माध्यम ही अंततः औद्यानिक फसलों (मुख्यतः फलों व सब्जियों) का विपणन की व्यवस्था है। फसलों के संग्रहण (storage)

व परिवहन (transportation) की यथोचित व्यवस्था करने सहित दलालों (middleman) की व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार किया जाना उचित होगा। इस हेतु मण्डी समिति के माध्यम तथा केन्द्र सरकार के वित्तीय सहयोग से यथोचित संख्या में विभिन्न स्थानों पर वातानुकुलित ए0सी0 संग्रहण स्थल/स्टोरेज की व्यवस्था तथा ए0सी0 परिवहन वाहनों की व्यवस्था की जानी चाहिए और मध्यवर्ती व्यापारियों (middleman) के स्थान पर उत्पादकों की तहसील, जनपद व राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं का गठन किया जाना चाहिए। तदानुसार विपणन परिषद को समाप्त करने एवं विपणन निगम के प्रस्ताव को परित्याग करने पर विचार करना चाहिए। परिवहन एवं स्टोरेज व्यवस्था की व्यवस्था एवं संचालन अथवा मात्र संचालन के लिए उत्पादकों की सहकारी समिति को ही जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इससे उनमें स्वामित्व (ownership) भाव के कारण सकारात्मक प्रभाव होगा जिससे कार्यकुशलता (efficiency) व प्रभाविकता (effectiveness) में भी अभिवृद्धि हो सकेगी। साथ ही लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership/PPP) व्यवस्था अंतर्गत कुछ विपणन ईकाईयों की स्थापना व संचालन की सम्भावनाएं भी तलाश की जानी चाहिए।

(38) भेषज विकास ईकाई (उद्यान विभाग)

दिसम्बर, 2016 अनुसार ईकाई में निम्नानुसार पदों की स्थिति सूचित की गई है:–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	प्रमुख भेषज विशेषज्ञ/6600	01	–	01	
2.	भेषज विशेषज्ञ/5400	01	–	01	
3.	शोध अधिकारी/5400	01	01	–	प्रतिनियुक्ति
4.	प्रशिक्षण अधिकारी/5400	01	01	–	
5.	भेषज कृषि अनुसंधान अधि0/5400	01	01	–	प्रतिनियुक्ति
6.	कनिष्ठ प्रवक्ता (वनस्पति)/4200	01	01	–	
7.	कनिष्ठ प्रवक्ता (आयुर्वेद)/4200	01	–	01	
8.	जिला भेषज विकास अधि०/4200	03	–	03	
9.	सहायक शोध अधि0 (वानस्पति)/4200	01	01	–	प्रतिनियुक्ति
10.	सहायक शोध अधि0 (रसायन)/4200	01	01	–	
11.	फोटोग्राफी आर्टिस्ट/4200	01	–	01	
12.	मार्केट इन्टेलीजेन्स व सम्पर्क अधि0/4200	01	–	01	
13.	अतिरिक्त जिला भेषज विकास अधिकारी/4600	07	03	04	
14.	सहायक विकास अधिकारी (जड़ी–बूटी)/2800	03	–	03	

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
15.	भेषज कृषि निर्देशक/2800	03	–	03	
16.	सहायक लेखाकार/2800	01	–	01	
17.	प्रवर सहायक/2800	02	–	02	
18.	फार्म निरीक्षक/2800	01	01	–	प्रतिनियुक्ति
19.	प्रगति निरूपक/2800	01	01	–	
20.	भेषज निरूपक/2800	01	01	–	
21.	प्रयोगशाला तकनीशियन/2400	01	–	01	
22.	स्टेनो टाइपिस्ट/2400	01	–	01	
23.	वर्गीकरण सहायक (सीमान्त)/2400	13	03	10	
24.	कनिष्ठ सहायक/2000	02	01	01	
25.	जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक/2000	30	21	09	
26.	वर्गीकरण सहायक (असीमान्त)/2000	06	–	06	
27.	फोटो लैब सहायक/2000	01	01	–	
28.	स्टोर कीपर/2000	01	01	–	
29.	फार्म पर्यवेक्षक/2000	03	01	02	
30.	ग्रन्थालय संरक्षक/2000	01	01	–	
31.	प्रशिक्षण सहायक/2000	01	–	01	
32.	वर्गीकरण पर्यवेक्षक/1900	32	08	24	
33.	प्रयोगशाला सहायक/1900	01	–	01	
34.	चालक/1900	02	–	02	
35.	हैड माली/1800	01	–	01	
36.	माली/1800	14	10	04	
37.	प्रदर्शन परिचर/1800	05	01	04	
38.	सहयोगी/1800	05	03	02	
39.	प्रयोगशाला परिचर/1800	01	–	01	
40.	स्वच्छक/1800	01	01	–	
	योग	**158**	**64**	**94**	

वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी कुल व्यय लगभग रू0 2.70 करोड़ हुआ है। सभी पद भरे होने की दशा में व्यय लगभग रू0 6.67 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन में लगभग रू0 7.67 करोड़ होता है।

स्वीकृत पदों के सम्बन्ध में कार्मिक के जो कार्य व उत्तरदायित्व सूचित किये गये हैं उसके अनुसार भेषज ईकाई का मुख्य कार्य दायित्व जड़ी–बूटी तथा सगन्ध पादपों का कृषिकरण, प्री एवं पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रबन्धन, प्रशिक्षण, प्रमाणन प्रबन्धन, विपणन प्रबन्धन तथा नर्सरी विकास है। जड़ी–बूटी/सगन्ध पादपों से सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं का निबन्धन व तत्सम्बन्धी कार्य भी ईकाई के भेषज विशेषज्ञ आदि कतिपय पदों पर है। उल्लेखनीय है कि वन

भूमि के परिप्रेक्ष्य में वन विभाग/वन निगम पर यह कार्य है जबकि जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर और सगन्ध पौधा केन्द्र (सेलाकुई) भी कार्यरत हैं। उत्तराखण्ड राज्य में उद्यान एवं जड़ी–बूटी ग्रामीण आर्थिकी के महत्वपूर्ण अंग के रूप में विकसित किये जा सकते हैं, विशेषकर विशिष्ट भौगोलिक व पर्यावरणीय भू स्थिति एवं अत्यंत छोटे व छिटके जोतों की दृष्टि से। वन पंचायतों की भूमि पर जड़ी–बूटी कृषिकरण व तत्सम्बन्धी कार्य कदाचित वन विभाग/वन निगम के अधीन होगा।

प्राप्त सूचनाओं के क्रम में निम्नलिखित बिन्दु विचार योग्य हैं :–

1. भेषज विकास इकाई के स्थान पर भेषज शाखा के नाम से उद्यान विभाग (अथवा एकीकृत कृषि एवं उद्यान विभाग में उद्यान शाखा) में ही व्यवस्था बनाई जाय जिसका प्रभारी उप निदेशक भेषज नाम का ग्रेड वेतन 6600 में 01 पद रहे। तदानुसार वर्तमान प्रमुख भेषज विशेषज्ञ पद के स्थान उप निदेशक भेषज एवं प्रमुख भेषज विशेषज्ञ के रूप में 01 पद रखा जाय। यह शाखा केवल भेषज के विपणन विषय पर मुख्यतः ध्यान केन्द्रित रखे। सगंध पौधों सम्बन्धी क्रियाकलाप के लिए सगन्ध पौधा केन्द्र एवं जड़ी–बूटी उत्पादन, प्रचार–प्रसार, विकास, शोध आदि कार्यों हेतु जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान कार्य करें।
2. शोध अधिकारी एवं भेषज कृषि अनुसंधान अधिकारी के 01–01 पद (ग्रड वेतन 5400 में) समाप्त कर दिये जायें क्योंकि जड़ी–बूटी शोध संस्थान भी कार्यरत है तथा शोध/अनुसंधान का कार्य विश्वविद्यालय एवं जड़ी–बूटी शोध संस्थान सहित अन्य शोध संस्थान कर सकते हैं।
3. जिला भेषज विकास अधिकारी का पद ग्रेड वेतन 4200 में तथा अतिरिक्त जिला भेषज विकास अधिकारी का पद ग्रेड वेतन 4600 में है। उचित होगा कि ग्रेड वेतन 4600 में जिला भेषज अधिकारी (भेषज विकास अधिकारी के स्थान पर) का पद तथा ग्रेड वेतन 4200 में अतिरिक्त जिला भेषज अधिकारी का पद हो तथा पदों की संख्या भी क्रमशः 03 व 06 रखी जा सकती है (यद्यपि कार्यरत मात्र 03 पद अतिरिक्त जिला भेषज विकास अधिकारी स्तर पर हैं)।
4. सहायक शोध अधिकारी (वनस्पति) एवं सहायक शोध अधिकारी रसायन का पद समाप्त कर दिया जाय।
5. सहायक विकास अधिकारी (जड़ी–बूटी) एवं भेषज कृषि निर्देशक के पद भी समाप्त कर दिये जायें जो रिक्त भी बताये गये हैं।

6. फार्म निरीक्षक एवं फार्म पर्यवेक्षक के पद समाप्त कर दिये जायें तथा वर्तमान भेषज ईकाई के अधीन यदि कोई फार्म हों तो उन्हें जड़ी–बूटी शोध संस्थान को हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिए।

7. प्रगति निरूपक व भेषज निरूपक के पद भी समाप्त कर दिये जाने चाहिए। इसके स्थान पर ग्रेड वेतन 2800 में सहायक भेषज अधिकारी के 10–12 पद सृजित किये जा सकते हैं। सहायक भेषज अधिकारी पद पर सीधी भर्ती व प्रोन्नति दोनों व्यवस्थाएं रखी जा सकती हैं।

8. वर्गीकरण सहायक सीमान्त (ग्रेड वेतन 2400) के 13 पद (03 कार्यरत) तथा वर्गीकरण सहायक असीमान्त (ग्रेड वेतन 2000) के 06 पद (सभी रिक्त) हैं जिसके स्थान पर ग्रेड वेतन 2400 में प्रत्येक जनपद हेतु 01–01 पद भेषज वर्गीकरण सहायक का हो और इसके कुल 14–15 पद रखे जा सकते हैं।

9. जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक के 30 पद ग्रेड वेतन 2000 में है जिसमें 21 कार्यरत हैं। इस पद पर कुल 28–30 पद ही रखे जा सकते हैं जिससे प्रोन्नति भेषज वर्गीकरण सहायक पद पर करने की व्यवस्था की जा सकती है। वर्गीकरण पर्यवेक्षक के ग्रेड वेतन 1900 के 32 पद (08 कार्यरत) हैं जिन्हें समाप्त कर दिया जाय। ग्रेड वेतन 2000 में जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक पद के सम्बन्ध में यथोचित अर्हता की व्यवस्था की जाय।

10. फार्म पर्यवेक्षक के पद समाप्त किये जा सकते हैं।

11. हैड माली व माली के पद भी समाप्त कर दिये जायें। प्रदर्शन परिचर के भी पद समाप्त किये जायें।

उक्तानुसार भेषज शाखा में उप निदेशक सहित कुल लगभग 86 या अधिकतम 91 पदों की व्यवस्था रखी जा सकती है।

(39) रेशम विकास विभाग

रेशम विकास विभाग अंतर्गत दिनांक 31.12.2016 की स्थिति अनुसार पदों की सूचना निम्नानुसार सूचित की गई है:–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/8700	01	–	01	
2.	संयुक्त निदेशक/7600	01	01	–	अस्थाई पद
3.	उपनिदेशक/6600	02	02	–	
4.	सहायक निदेशक/5400	09	07	02	
5.	निरीक्षक (रेशम)/2800	35	23	12	
6.	सहकारी निरीक्षक/2800	01	01	–	
7.	अधिदर्शक/प्रदर्शक/1900	71	50	21	
8.	सहकारिता पर्यवेक्षक/1900	02	01	01	

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
9.	बीज परीक्षक/1800	08	–	08	
10.	प्रधान कीटपालक/1800	25	10	15	
11.	कीटपाक/1800	65	32	33	
12.	मुख्य प्रशा0अधि0/5400	01	–	01	
13.	वरिष्ठ प्रशा0अधि0/4800	03	02	01	
14.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	03	01	02	
15.	प्रधान सहायक/4200	05	03	02	
16.	वरिष्ठ सहायक/2800	08	06	02	
17.	कनिष्ठ सहायक/2000	09	08	01	
18.	सहायक लेखाधिकारी/4800	01	01	–	
19.	लेखाकार/4200	01	–	01	
20.	सहायक लेखाकार/2800	01	–	01	
21.	आशुलिपिक ग्रेड–1/4200	01	01	–	
22.	आशुलिपिक ग्रेड–2/4200	02	01	01	
23.	प्रधान माली/1800	20	05	15	
24.	माली/1800	20	10	10	
25.	चालक/2000	06	06	–	
26.	अनुसेवक/1800	21	05	16	पद मृत घोषित
27.	चौकीदार/1800	17	12	05	पद मृत घोषित
	योग	**339**	**188**	**151**	

वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 7.19 करोड़ बताया गया है जो सभी पद भरे होने की दशा में लगभग रू0 12.96 करोड़ होता। सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार यह व्यय लगभग रू0 14.90 करोड़ होता है। जिला योजना सहित आयोजनागत व्यय लगभग रू0 2.85 करोड़ इंगित हुआ है। इस प्रकार रेशम विभाग में वेतन पर आयोजनागत व्यय के सापेक्ष लगभग 2.52 गुना अधिक व्यय हुआ है। यह स्थिति उचित नहीं है क्योंकि कार्यों के सापेक्ष वेतन व्यय अधिक होना चिंता का विषय है।

उपलब्ध सूचनाओं के दृष्टिगत कार्यवाही हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचार योग्य हैं :–

1. रेशम विभाग का अलग विभाग/निदेशालय न रखा जाय बल्कि उसे उद्यान (कृषि एवं उद्यान एकीकृत विभाग की दशा में उद्यान शाखा अंतर्गत) के अंतर्गत ही एक शाखा/उप शाखा के रूप में बनाया जाय जिसमें संयुक्त निदेशक स्तर का एक कार्मिक रेशम विकास/कार्य का प्रभारी होगा।

2. निरीक्षक रेशम के पद मात्र 18–20 रहें जबकि सहकारी निरीक्षक का एकमात्र पद समाप्त किया जाय तथा यह कार्य निरीक्षक रेशम एवं सहायक निदेशक के स्तर पर ही देखा जाय।

3. अधिदर्शक/प्रदर्शक के पद सीमित कर उनकी संख्या 40–45 तक रखी जा सकती है।

4. सहकारी पर्यवेक्षक का पद (02 पद) समाप्त किया जाय।

5. बीज परीक्षक के आठों पद रिक्त हैं तथा यह पद चतुर्थ श्रेणी का प्रतीत होता है। इस पद की अर्हता तथा कार्य की प्रकृति के सम्बन्ध में समिति को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अतः इन पदों को बनाए रखने पर समीक्षा की जाय।

6. प्रधान कीट पालक (25 पद) व कीट पालक (65 पद) तथा प्रधान माली (20 पद) व माली (20 पद) पदनाम से सभी पद 1800 ग्रेड वेतन के ही हैं। कुल स्वीकृत पद 130 है जिसके सापेक्ष कार्यरत पद 57 हैं। उचित होगा कि प्रत्येक श्रेणी में 02–02 पदनाम एक ही ग्रेड वेतन में रखने के बजाय वेतन स्तर–1 में केवल कीटपालक व माली पदनाम ही रखा जाय जिसमें क्रमशः कीटपालक में 30–35 पद एवं माली के कुल 15–20 पद ही रखने पर विचार किया जाय।

7. सहायक लेखाधिकारी का पद समाप्त कर दिया जाय।

8. लिपिक संवर्ग में पदों की संख्या उद्यान के अंतर्गत रेशम एक शाखा के रूप में रखे जाने के सुझाव के दृष्टिगत न्यूनतम वास्तविक आवश्यकतानुसार सीमित किये जायें।

(40) जड़ी–बूटी शोध संस्थान एवं सगन्ध पौधा केन्द्र

उत्तराखण्ड में जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर तथा सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई में स्थापित व संचालनरत हैं। कदाचित यह दोनों संस्थान राज्य औषधीय पादप बोर्ड के अधीन हैं। यह अपुष्ट जानकारी मिली है कि राज्य औषधीय पादप बोर्ड एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है।

सगन्ध पौधा केन्द्र का उत्तरदायित्व व उद्देश्य शोध एवं प्रसार आधारित सगन्ध पौधों की खेती को प्रोत्साहत कर रोजगार सृजन व स्थानीय कृषकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करना है। इस केन्द्र की स्थापना 2003 में की गई थी जिस पर सगन्ध पौधों का संरक्षण, खेती, प्रसंस्करण, गुणवत्ता निर्धारण एवं बाजार को प्रोत्साहित करने का कार्य निहित होना इंगित किया गया है। इस केन्द्र में पदों की स्थिति निम्नानुसार सूचित की गई है:–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/8900	01	01	–	
2.	वैज्ञानिक 'ई'/8700	02	02	–	
3.	वैज्ञानिक 'डी'/7600	01	–	01	
4.	वैज्ञानिक 'सी'/6600	04	01	03	
5.	वैज्ञानिक 'बी'/5400	07	01	06	
6.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक/4200	06	04	02	
7.	फील्ड सहायक/2400	09	07	02	
8.	प्रयोगशाला सहायक/2400	03	01	02	
9.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक/2400	08	01	07	

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
10.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक/4200	01	01	–	
11.	सहायक लेखाधिकारी/4800	01	–	01	
12.	लेखाकार/4200	01	–	01	
13.	सहायक लेखाकार/2800	01	–	01	
14.	प्रधान सहायक/4200	01	01	–	
15.	वरिष्ठ सहायक/2800	01	01	–	
16.	कनिष्ठ सहायक/2000	02	02	–	
17.	इलैक्ट्रीशियन/2000	01	–	01	
18.	कम्प्यूटर ऑपरेटर/2000	01	01	–	
19.	स्वागती/2400	01	01	–	
20.	वाहन चालक/2000	01	01	–	
21.	पुस्तकालय सहायक/2000	01	01	–	
22.	स्टोर कीपर/1900	01	01	–	
23.	अनुसेवक/1800	02	02	–	
24.	परिचर/1800	02	02	–	
25.	गार्डन निरीक्षक/	01	–	01	
	योग	**60**	**31**	**29**	

उक्तानुसार कुल 60 पद सृजित व 31 पद कार्यरत होना बताया गया है। वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी कुल व्यय लगभग रू0 1.35 करोड़ इंगित है। सभी पद भरे होने की दशा में यह व्यय लगभग रू0 2.61 करोड़ होता है जो सातवें पुनरीक्षित वेतन में लगभग रू0 3.00 करोड़ होता है।

उल्लेखनीय है कि अधिकांश पद एकल हैं अथवा पदनाम वार पदों की संख्या न्यून है। कुल 25 पदों में 15 पद एकल हैं। प्राप्त सूचना के क्रम में विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है–

1. वैज्ञानिकों के कुल पांच स्तर के पद निदेशक सहित हैं जिसमें सबसे न्यून स्तर पर वैज्ञानिक 'बी' (ग्रेड वेतन 5400) के 07 पद (कार्यरत 01) एवं उत्तरोत्तर वैज्ञानिक 'सी' (ग्रेड वेतन 6600) 04 पद (कार्यरत 01), वैज्ञानिक 'डी' (ग्रेड वेतन 7600) का 01 पद (रिक्त) व वैज्ञानिक 'ई' (ग्रेड वेतन 8700) के 02 पद (दोनों कार्यरत) हैं। इस प्रकार निदेशक सहित 14 सृजित पदों के सापेक्ष मात्र 05 कार्यरत हैं। सामान्यतः शोध/अनुसंधान सम्बन्धी कार्य विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों का है। अतः इस केन्द्र में वैज्ञानिकों के पद सीमित संख्या में रहने चाहिए। तदानुसार वैज्ञानिक 'बी' के 05, वैज्ञानिक 'सी' के 03, वैज्ञानिक 'डी' के 02 तथा वैज्ञानिक 'ई' का 01 पद रखा जा सकता है एवं वैज्ञानिक 'ई' को ही केन्द्र निदेशक का दायित्व भी दिया जा सकता है। तदानुसार कुल 11 पद रखने पर विचार किया जा सकता है।

2. कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 08 व वरिष्ठ तकनीकी सहायक के 06 पद हैं जबकि कार्यरत क्रमशः 01 व 04 हैं। इन पदों की संख्या भी क्रमशः 05 एवं 04 की जा सकती है।

3. फील्ड सहायक के 09 के स्थान पर 07 पद रखे जा सकते हैं।

4. सहायक लेखाधिकारी का पद समाप्त किया जा सकता है तथा लेखा सम्बन्धी कार्य लेखाकार व सहायक लेखाकार स्तर पर देखा जा सकता है।

जड़ी–बूटी शोध संस्थान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बजट साहित्य खण्ड 6 की सूचना अनुसार 01 अप्रैल, 2015 को जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर में कुल 35 पद सृजित, 14 पद कार्यरत तथा 21 पद रिक्त होना इंगित है। इसका विवरण निम्नानुसार है –

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/8900	01	01	–	
2.	वैज्ञानिक 'ई'/8700	01	–	01	
3.	वैज्ञानिक 'सी'/6600	03	–	03	
4.	वैज्ञानिक 'बी'/5400	10	04	06	
5.	तकनीकी सहायक/4200	05	–	05	
6.	लेखाधिकारी/5400	01	–	01	
7.	लेखाकार/2800	01	01	–	
8.	सहायक लेखाकार/2400	01	01	–	
9.	आशुलिपिक/4200	01	01	–	
10.	प्रवर सहायक/2400	01	0	–	
11.	कनिष्ठ सहायक/1900	02	01	01	
12.	वाहन चालक/1900	01	03	–2	
13.	अनुसेवक/चौकीदार/स्वच्छक/1800	07	01	06	
	योग	**35**	**14**	**21**	

सोसाइटी के रूप में पंजीकृत राज्य औषधीय पादप बोर्ड के स्मृति पत्र अनुसार इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड में नैसर्गिक रूप से पैदा होने वाली जड़ी–बूटियों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण, संरक्षण, पुनरूत्पादन, कृषिकरण कराना है ताकि जड़ी–बूटी उद्योग स्थापित हो सकें और कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही जड़ी–बूटी से सम्बन्धित पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना तथा इससे प्राप्त सूचनाओं को जन साधारण तक पहुंचाना भी इस संस्थान के उद्देश्य एवं कार्यकलाप के रूप में इंगित हैं। कदाचित इस संस्था के संगठनात्मक ढांचे के सम्बन्ध में समीक्षा करने की आवश्यकता प्रतीत होती है जिस समय भेषज ईकाई व सगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई सहित वन विभाग/वन निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों व उनकी गतिविधियों को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए। वैज्ञानिक 'ई' को ही निदेशक की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है एवं निदेशक का पृथक पद समाप्त किया जा सकता है। लेखाधिकारी का पद भी समाप्त किया जा सकता है।